Government of Rajasthan

राजस्थान सरकार

वित्त विभाग
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग

पंचम मासिक रिपोर्ट

जून, 2026

अनुक्रमणिका

1. प्रस्तावना 3
2. विभागीय कार्यकलाप 3
3. IFMS 3.0.. 4
4. (i) पेंशनर्स की संख्या एवं उनका वर्गीकरण 24
   (ii) आयु वर्ग के अनुसार पेंशनर्स का वर्गीकरण 24
   (iii)पेंशन भुगतान आदेश 25
   (iv)जून, 2026 से अगस्त, 2026 तक सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की विभागवार संख्या.................................. 28
5. परिवेदना निवारण 29
6. वृतांत 30
7. स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित पेंशन अदालत की प्रगति रिपोर्ट 32
8. नवीन संशोधन/नियम/आदेश/निर्वचन........................... 33
9. पेंशन अदालत 38

संक्षिप्त परिचय

1. प्रस्तावना

पेंशन विभाग की स्थापना दिनांक 1 दिसम्बर, 1979 को हुई थी। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पेंशन स्वीकृति आदेश जारी करने के पश्चात् पेंशन विभाग पेंशन अधिकृतियां जारी करता है। पेंशन विभाग का उद्देश्य विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को पेंशन परिलाभों का भुगतान करना है। वर्तमान में पेंशन विभाग द्वारा नवीनतम प्रक्रियाओं के माध्यम से कम्प्यूटर जनित सेवाओं का उपयोग किया जाकर पेंशन अधिकृतियां जारी किये जाने एवं पेंशन संबंधित परिवेदनाओं के निराकरण का कार्य किया जा रहा है। उक्त समस्त कार्यों का निष्पादन पेंशन विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ संभाग स्तर के कार्यालयों (अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर) द्वारा किया जा रहा है।

2. विभागीय कार्यकलाप :—

विभाग के द्वारा राज्य के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं राज्य केडर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन की मूल एवं संशोधित अधिकृतियॉ जारी करने, स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन एवं नकद राशि अधिकृत करने, पुलिस पदक, विशिष्ट और प्रशंसनीय सेवाओं, भूतपूर्व रियासतों के शासकों के हाउस होल्डर्स स्टाफ एवम् भूतपूर्व जागीर कर्मचारियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राजस्व मंडल, इन्दिरा गांधी नहर बोर्ड, कर बोर्ड आदि के अध्यक्ष एवं सदस्यों एवम् नगरपालिका/परिषदों, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् तथा नगर विकास न्यास के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन भुगतान आदेश जारी करने एवं अन्य सेवानिवृत्ति परिलाभ भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी कार्य किये जाते हैं ।

साथ ही पेंशन विभाग के द्वारा मृत्यु एवं सेवानिवृति उपादान राशि अधिकृत करना एवं जीवनकालीन बकाया/पेंशन बकाया के भुगतान की स्वीकृति जारी करना आदि कार्य भी किए जाते हैं। वर्तमान में केन्दीकृत पेंशन वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत एकल आहरण—वितरण अधिकारी द्वारा पेंशन परिलाभों को भुगतान संबंधी कार्यवाही की जा रही है।

3. **<u>IFMS 3.0 के माध्यम से पेंशन विभाग के द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की जा रही हैं :–</u>**

- सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक IFMS 3.0 पोर्टल से सुगमता से पेंशन प्रपत्र अपने SSO-ID पर लॉगईन कर ऑनलाईन माध्यम से तैयार कर कार्यालयाध्यक्ष को व कार्यालयाध्यक्ष पेंशन विभाग को ऑनलाईन प्रेषित करते हैं। विभाग के इस पोर्टल पर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक से प्राप्त पेंशन आवेदनों की ऑनलाईन जांच कर सेवानिवृत्त कार्मिक को पेंशन, ग्रेच्युटी एवं कम्यूटेशन की अधिकृतियां ई–हस्ताक्षर (E-Sign) द्वारा जारी की जा रही हैं। यह व्यवस्था अत्यन्त सरल एवं सुगम होने से समय की बचत होती है एवं इससे पेंशन प्रकरणों में अतिशीघ्र पेंशन की अधिकृतियां जारी किया जाना संभव हो सका है।

- पेंशन आवेदन के विभाग में प्राप्त होने के पश्चात ई–हस्ताक्षरित (E-Signed) अधिकृतियां जारी होने तक की प्रक्रिया में होने वाली प्रगति की जानकारी मोबाईल पर SMS के माध्यम से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को उपलब्ध करवायी जा रही है। इस पोर्टल से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को पेंशन प्रकरणों की प्रगति की ऑनलाईन स्थिति देखने एवं जारी की गई अधिकृतियों को download करने की सुविधा उपलब्ध है। पेंशन पोर्टल से दिनांक 01.06.2023 से दिनांक 31.12.2025 तक लगभग 53226 ई–हस्ताक्षरित (E-Signed) पेंशन अधिकृतियां जारी की जा चुकी हैं।

- दिनांक 30.09.2023 के पश्चात के प्रोविजनल सेवानिवृत्ति के पेंशन प्रकरण ऑनलाईन IFMS 3.0 पोर्टल से प्रेषित करने की सुविधा एवं दिनांक 25.10.2023 व इसके पश्चात के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पेंशन प्रकरण भी IFMS 3.0 पोर्टल से संचालित हैं। इस पोर्टल से जारी पेंशन, ग्रेच्यूटी एवं कम्यूटेशन की ई–हस्ताक्षरित (E-Signed) अधिकृतियों के रिवीजन प्रकरणों की सुविधा दिनांक 04.12.2023 से ऑनलाईन शुरू की जा चुकी हैं।

- पेंशनरों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार के अधिकारियों/कार्मिकों (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर) को स्वयं की SSO ID के माध्यम से ऑनलाईन ई–हस्ताक्षरित (E-Signed) जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जारी करने की सुविधा भी IFMS 3.0 पोर्टल पर उपलब्ध है।

- मासिक पेंशन स्लिप तथा पेंशन का वार्षिक विवरण देखने हेतु मोबाईल ऐप की सुविधा विकसित की गई है। इस मोबाईल ऐप के माध्यम से पेंशनर अपनी मासिक पेंशन, अतिरिक्त पेंशन तथा स्त्रोत पर आयकर की कटौतियों का विवरण देख सकते हैं।

- पारिवारिक पेंशनर्स की जन्म तिथि निर्धारण के संबंध में जारी आदेश को डिजीटल किया जाकर स्वतः कोषालय के लिगेसी डेटा में परिवर्तन किये जाने का प्रावधान किया गया है। जिससे पेंशनर को इस कार्य हेतु कोषालय में जाने की आवश्यकता नही है।

- राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 83 के अन्तर्गत संबंधित कर्मचारी को सेवनिवृत्ति की दिनांक से 6 माह पूर्व ही पेंशन प्रकरण अधिकृति जारी करने हेतु पेंशन विभाग को भिजवाया जा सकता है। इसके लिए कार्मिक सेवानिवृत्ति से 180 दिवस (6 माह) पूर्व अपनी स्वयं की SSO ID के माध्यम से IFMS 3.0 में Employee Self Service पर जाकर नीचे दिये गये स्क्रीन शॉट्स के अनुसार कुल 8 Fields को पूर्ण कर पेंशन प्रकरण स्वयं के विभाग (Head of office) में प्रस्तुत कर सकता है।
- कार्यालयाध्यक्ष (मेकर) के स्तर पर कार्मिक द्वारा प्रस्तुत पेंशन प्रकरण का समुचित सत्यापन एवं अद्यतन उपरान्त दस्तावेज अपलोड कर पेंशन विभाग को निम्नानुसार प्रक्रिया पूर्ण कर अग्रेषित किया जायेगा।
- कार्यालयाध्यक्ष (चैकर) के स्तर पर कार्मिक द्वारा प्रस्तुत पेंशन प्रकरण का समुचित सत्यापन एवं अद्यतन उपरान्त लेखाकर्मी का प्रमाण पत्र अपलोड कर पेंशन विभाग को निम्नानुसार प्रक्रिया पूर्ण कर अग्रेषित किया जायेगा।
- कार्यालयाध्यक्ष (अप्रूवर) के स्तर पर कार्मिक द्वारा प्रस्तुत पेंशन प्रकरण का समुचित सत्यापन, अद्यतन एवं अपलोड किये गये दस्तावेजों के परीक्षण उपरान्त Aadhar Based E-Sign कर पेंशन विभाग को निम्नानुसार प्रक्रिया पूर्ण कर अग्रेषित किया जायेगा। **उक्त समस्त प्रक्रिया पूर्ण रूप से Paper less है।**

कर्मचारी का व्यक्तिगत विवरण

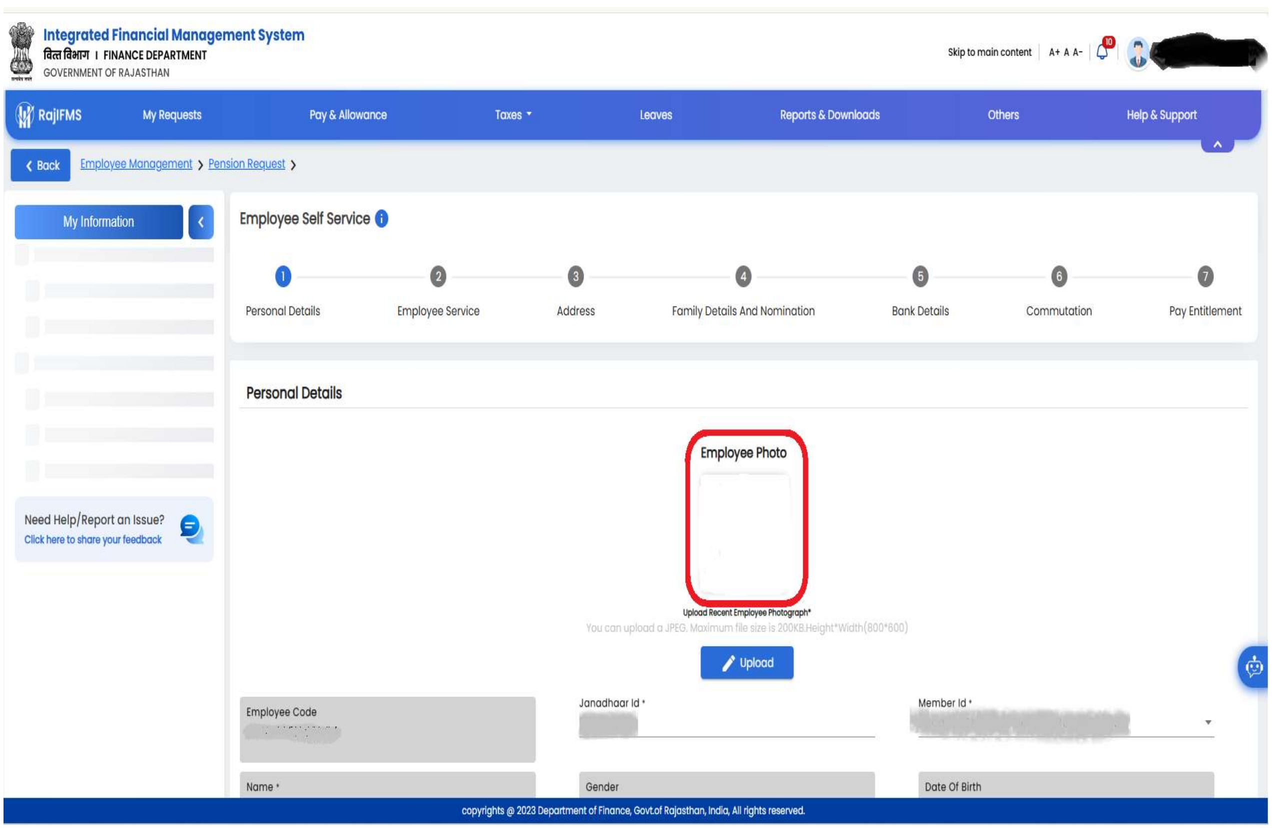

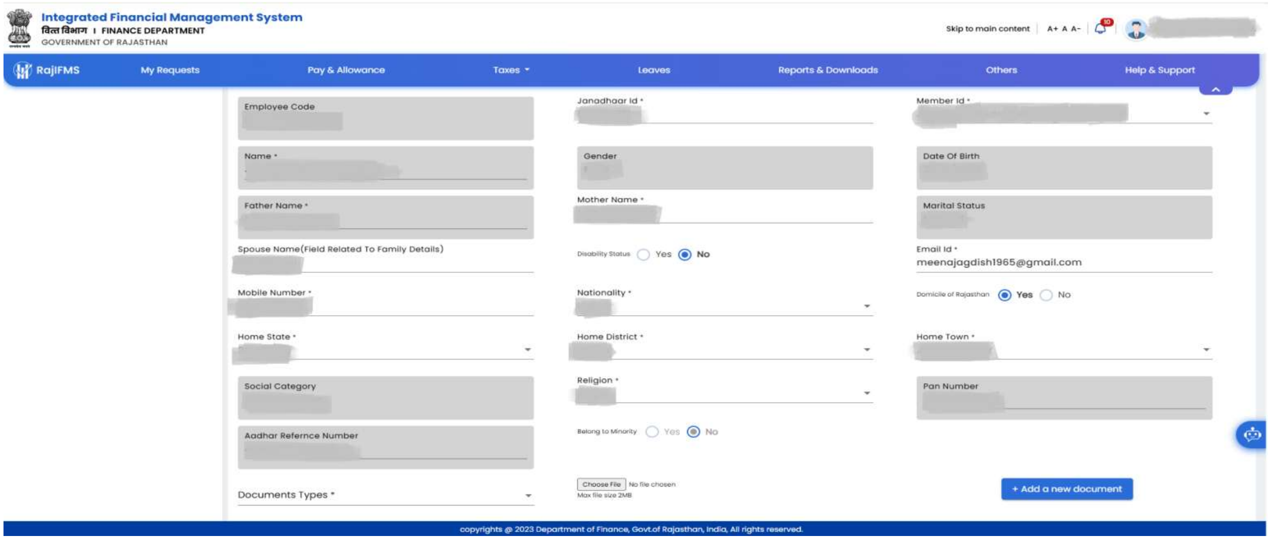

कर्मचारी का सेवा से संबंधी विवरण

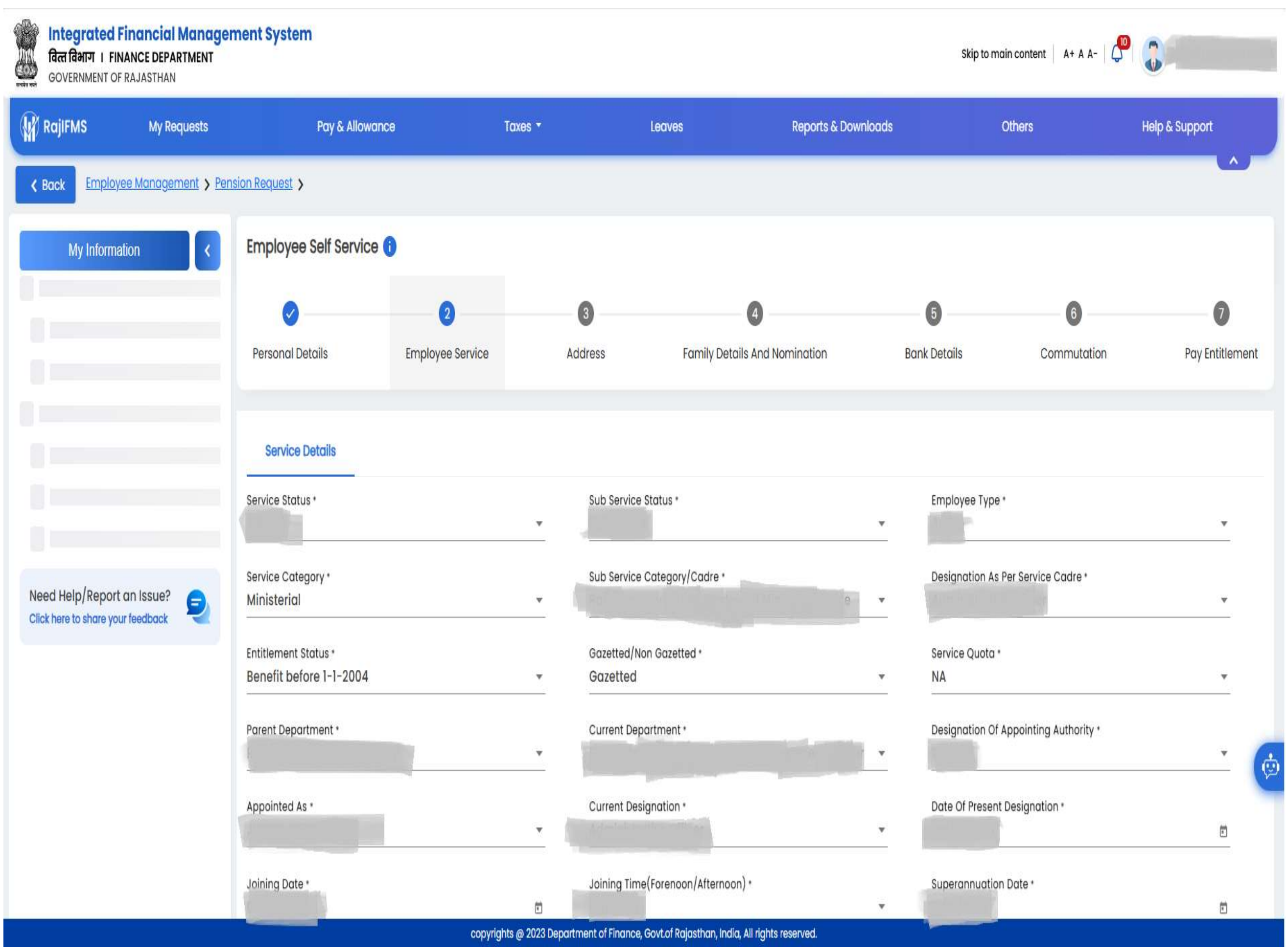

कर्मचारी का वर्तमान एवं मूल घर के पते संबंधी विवरण

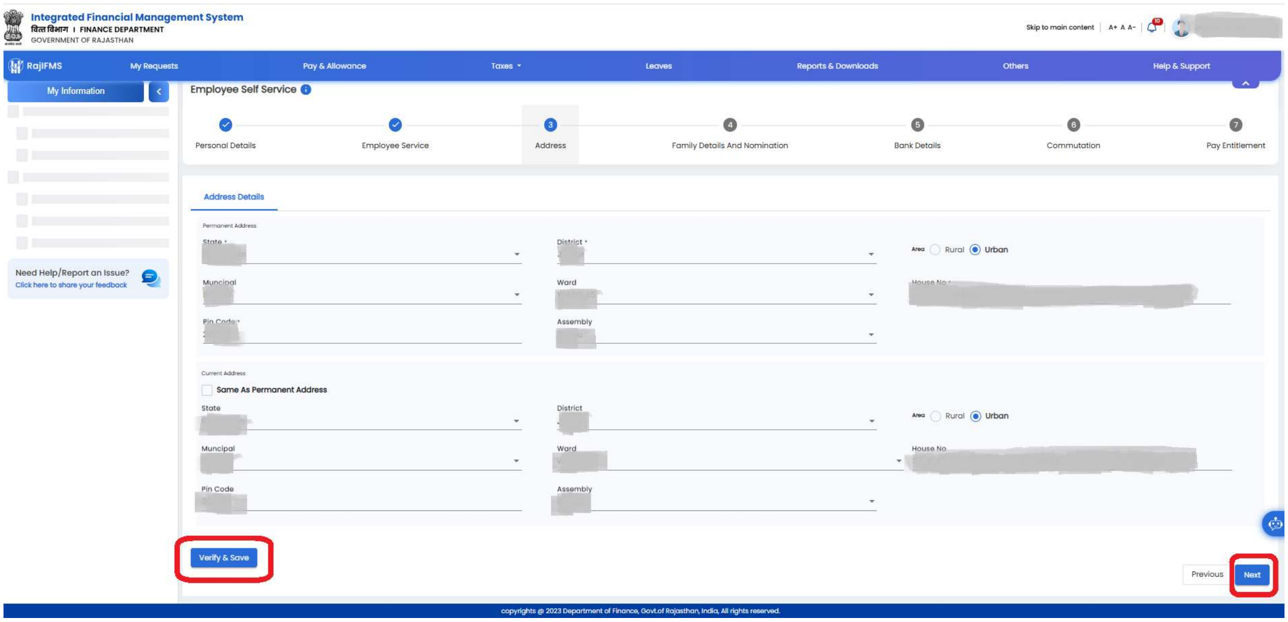

कर्मचारी का पारिवारिक एवं नॉमिनेशन संबंधी विवरण

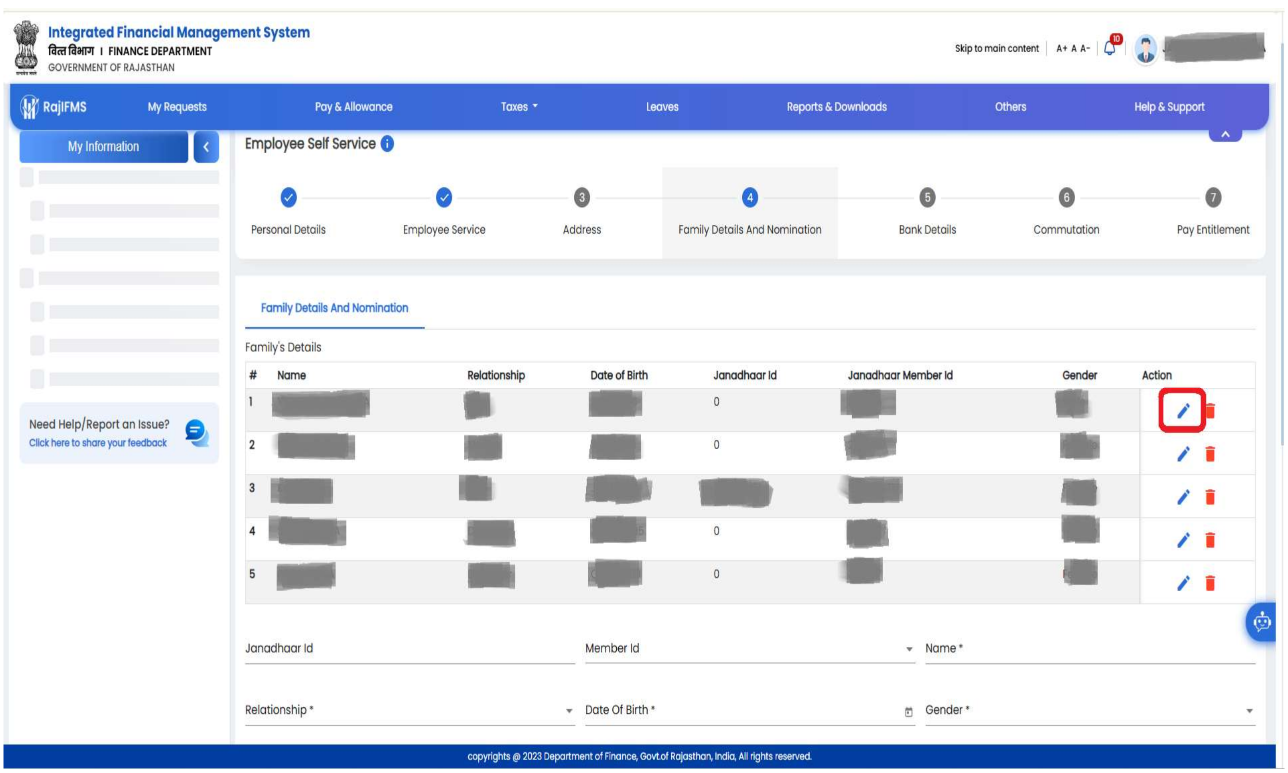

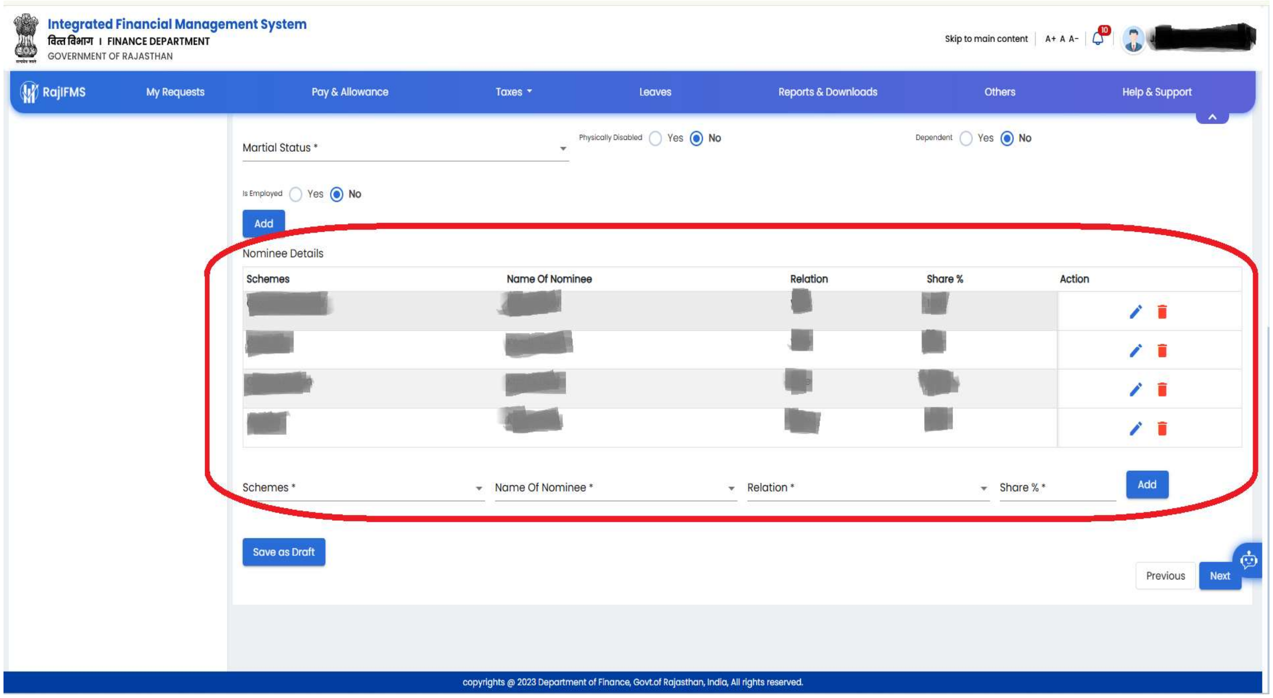

कर्मचारी का बैंक संबंधी विवरण

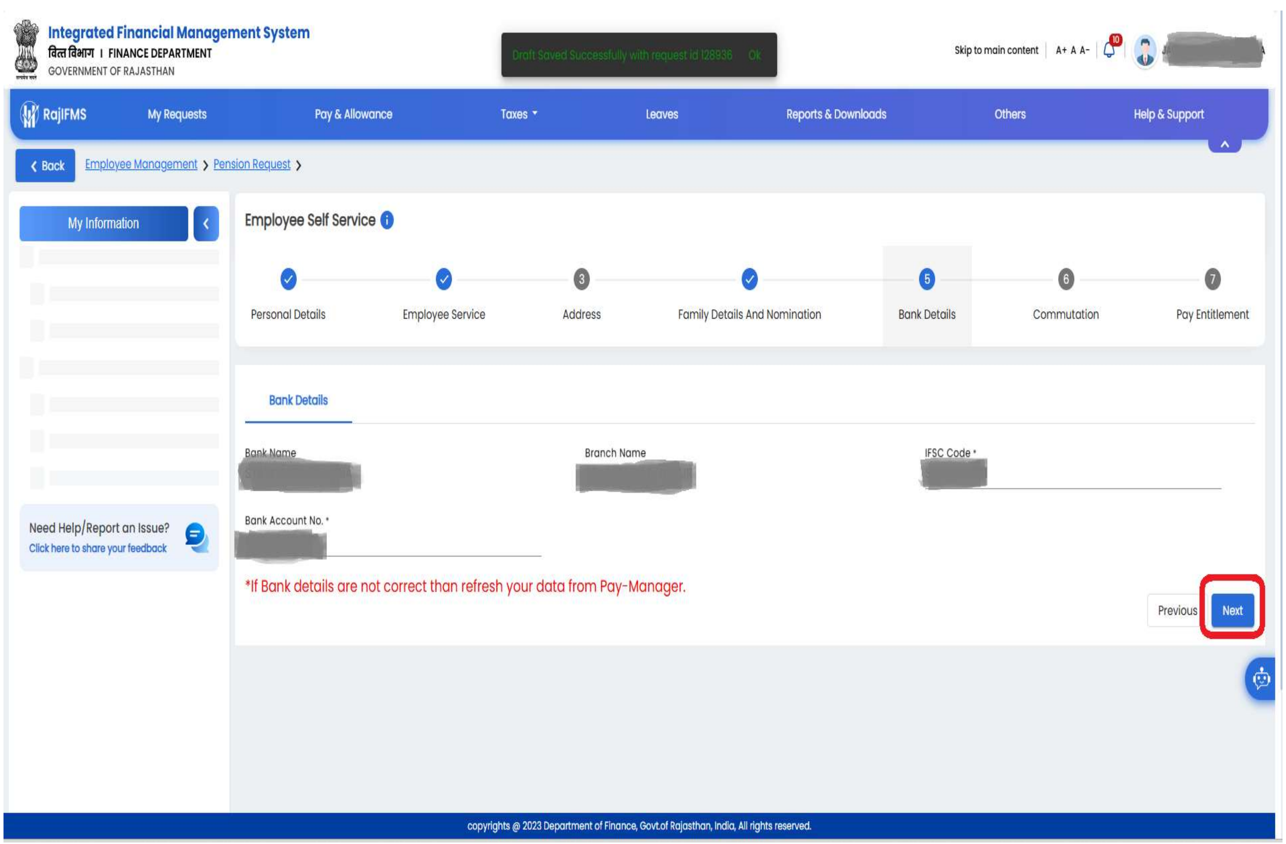

कर्मचारी का कम्यूटेशन संबंधी विवरण

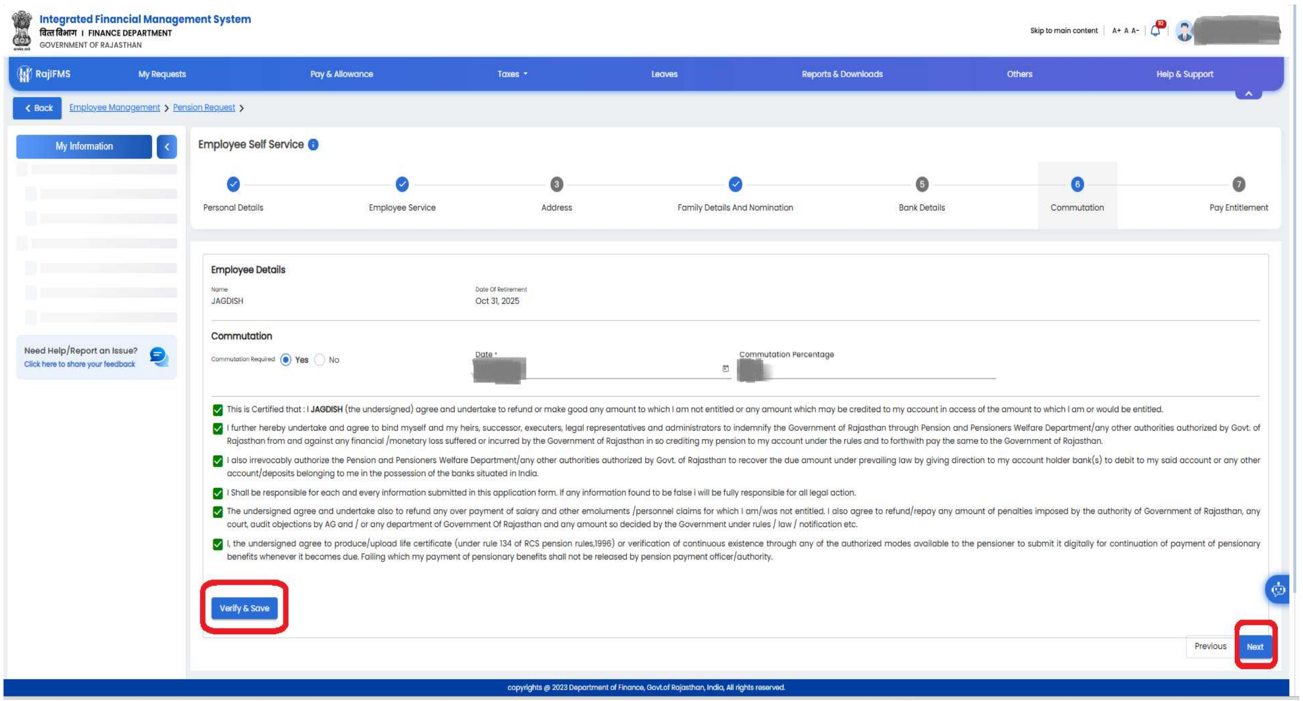

कर्मचारी का वेतन संबंधी विवरण

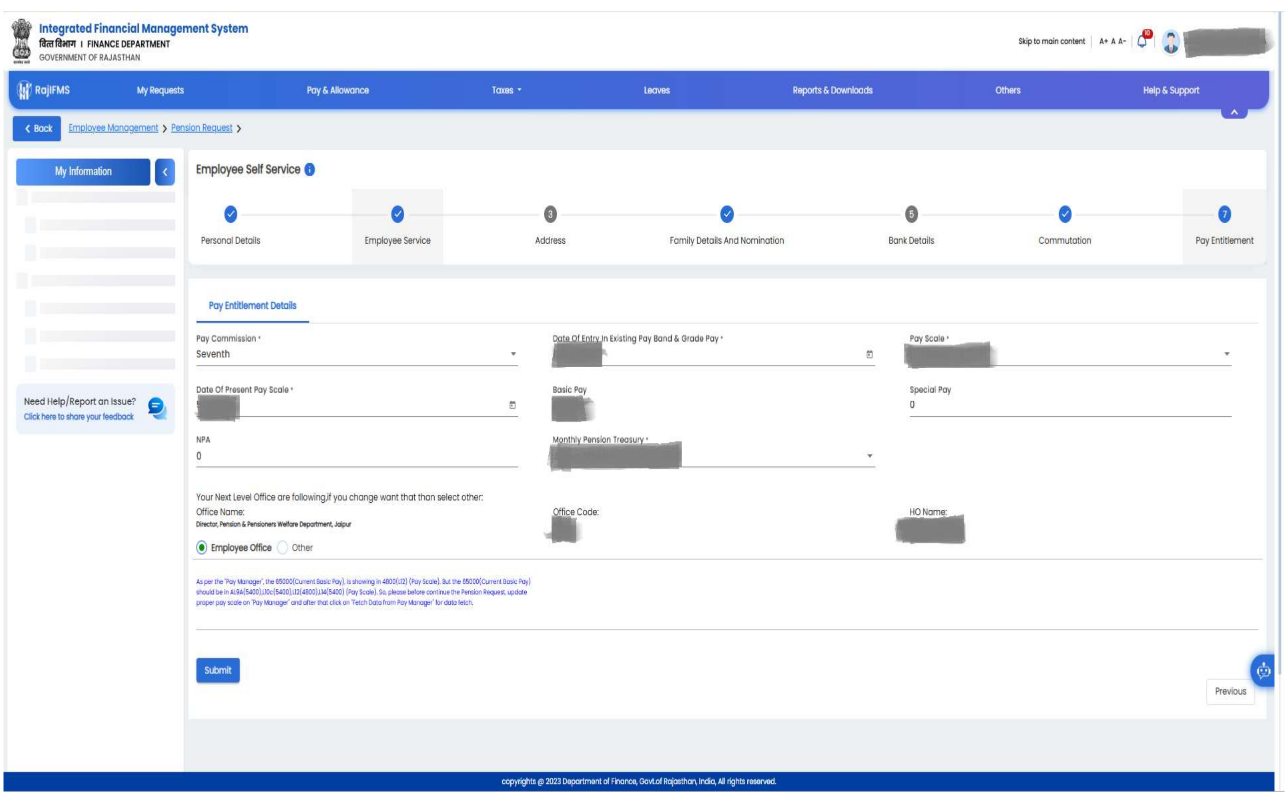

कार्यालयाध्यक्ष के मेकर लेवल पर जांच की जाने वाली व्यक्तिगत जानकारी

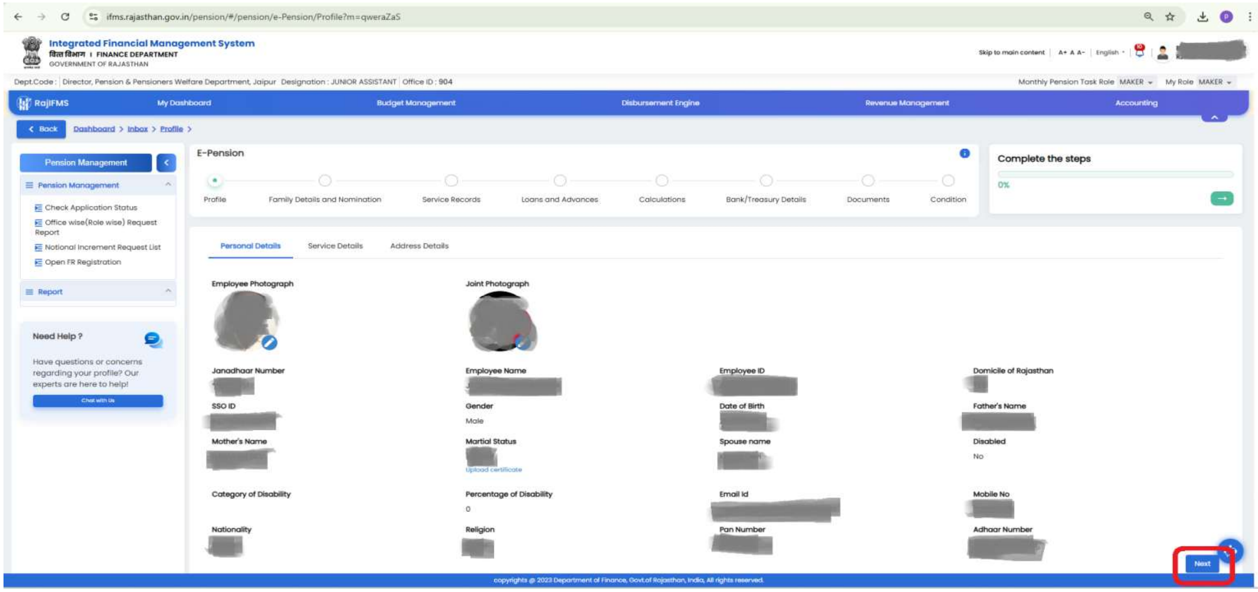

कर्मचारी के सेवा संबंधी विवरण की जांच

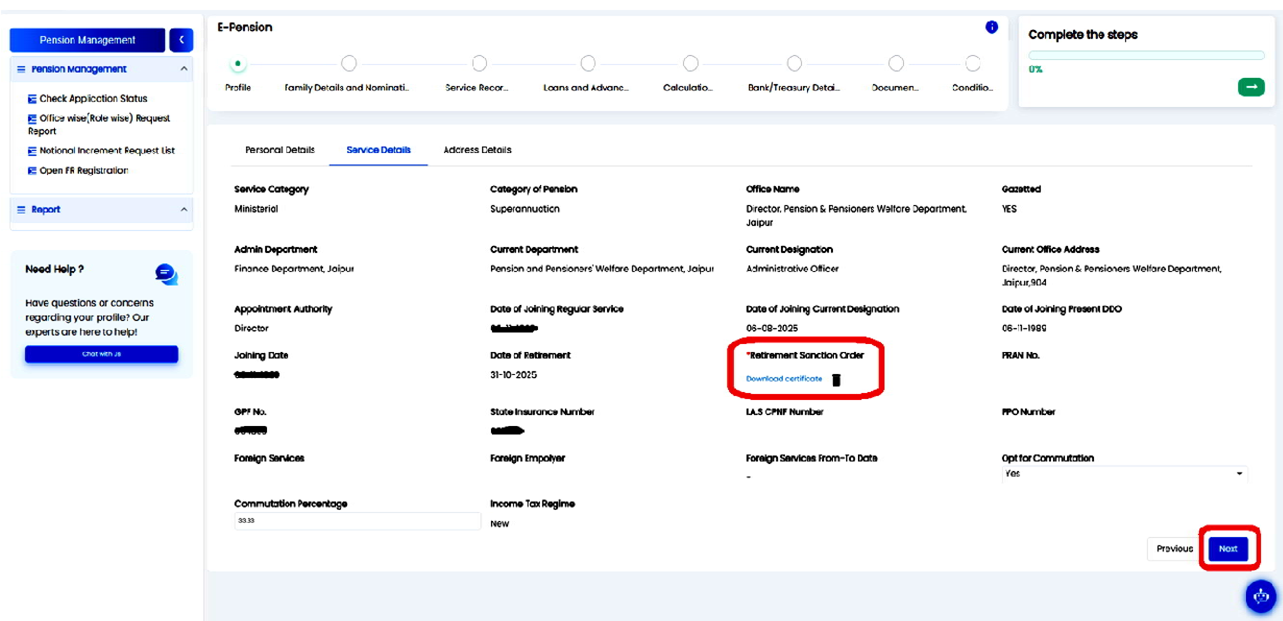

मेकर लेवल पर कर्मचारी के पते संबंधी विवरण की जांच

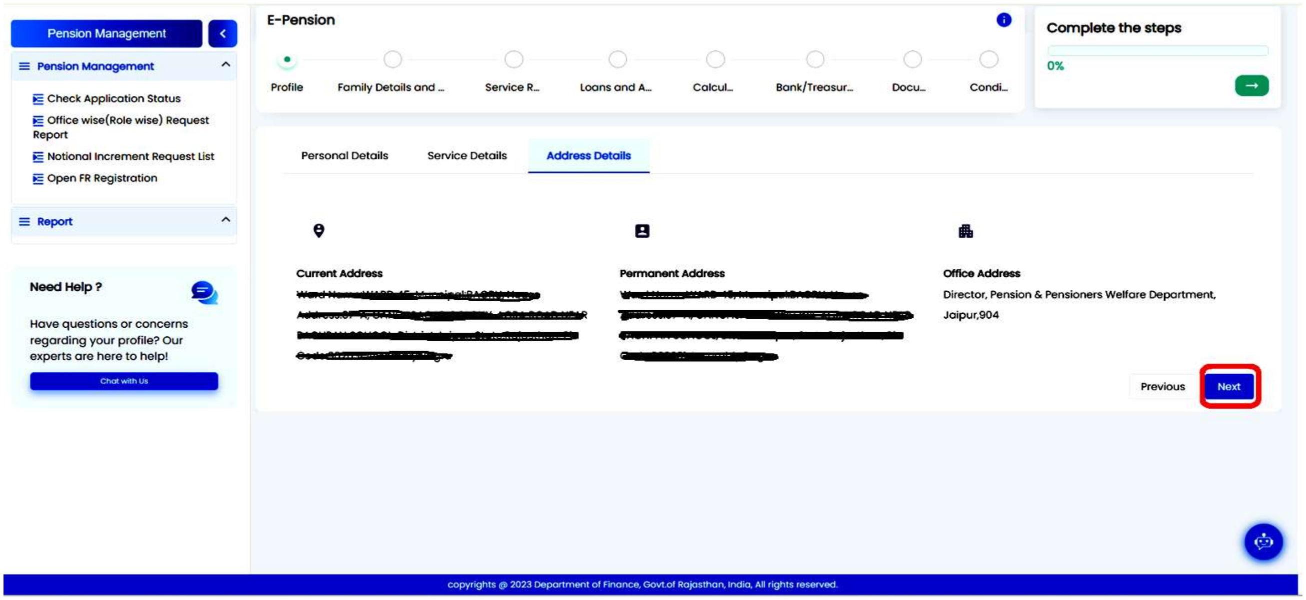

मेकर लेवल पर कर्मचारी के पारिवारिक विवरण संबंधी जांच

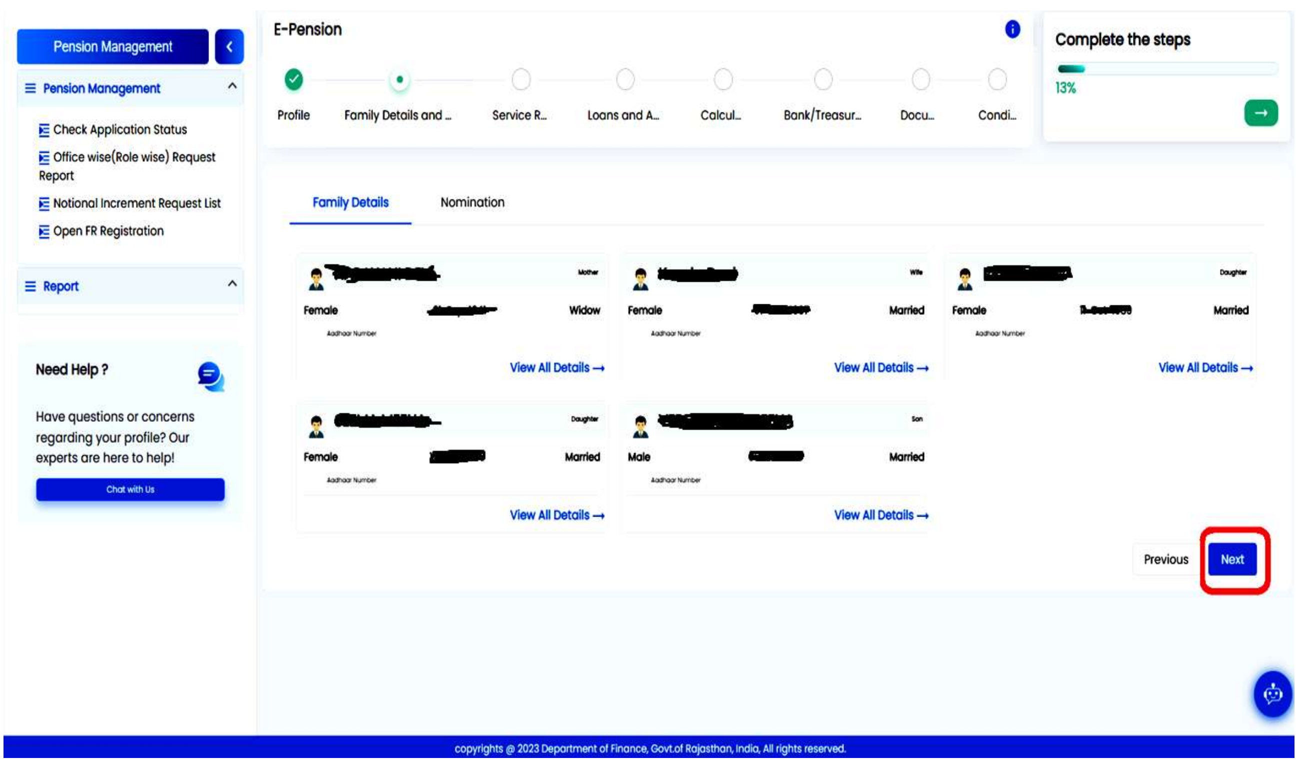

मेकर लेवल पर कर्मचारी के नॉमिनेशन विवरण संबंधी जांच

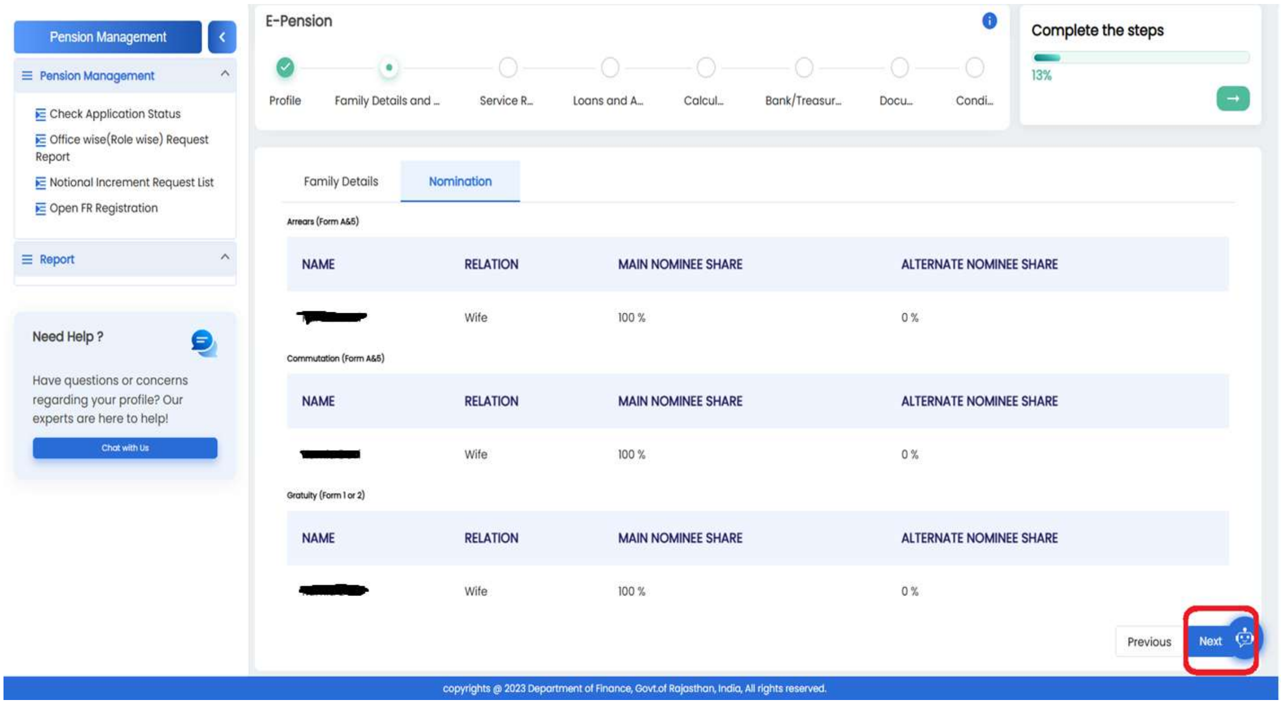

मेकर लेवल पर कर्मचारी के सर्विस रिकॉर्ड संबंधी जांच

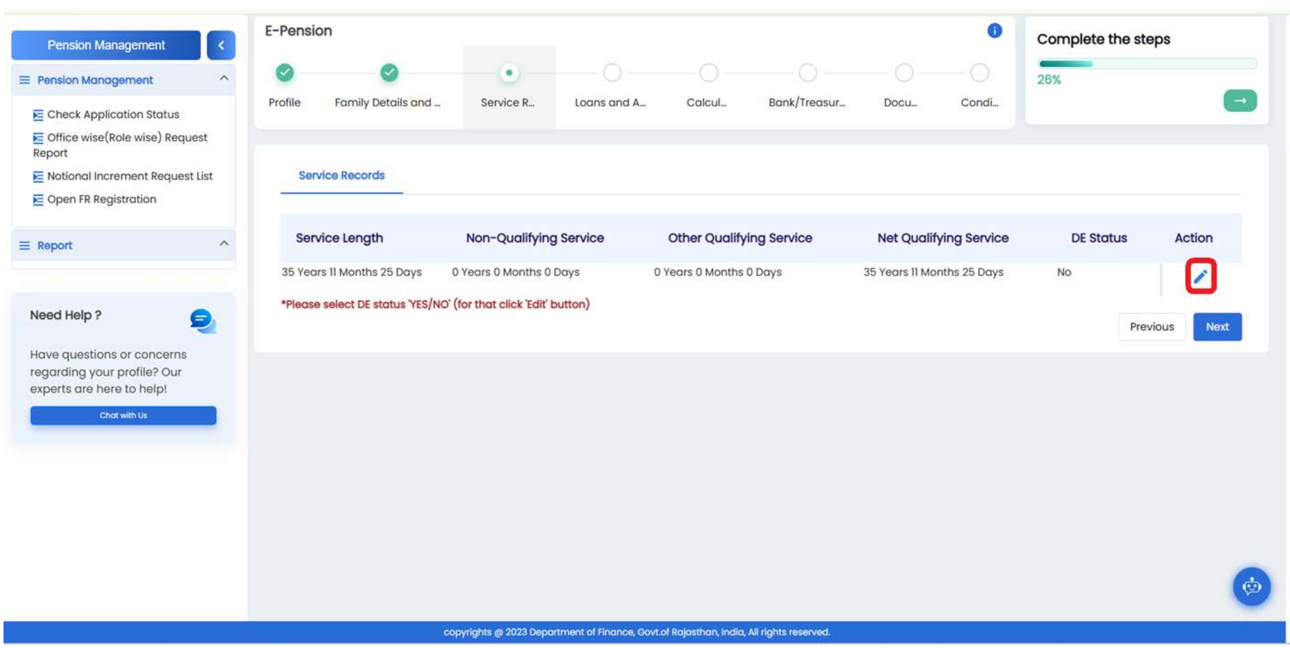

मेकर लेवल पर कर्मचारी के लॉन एवं अग्रिम रिकॉर्ड संबंधी जांच

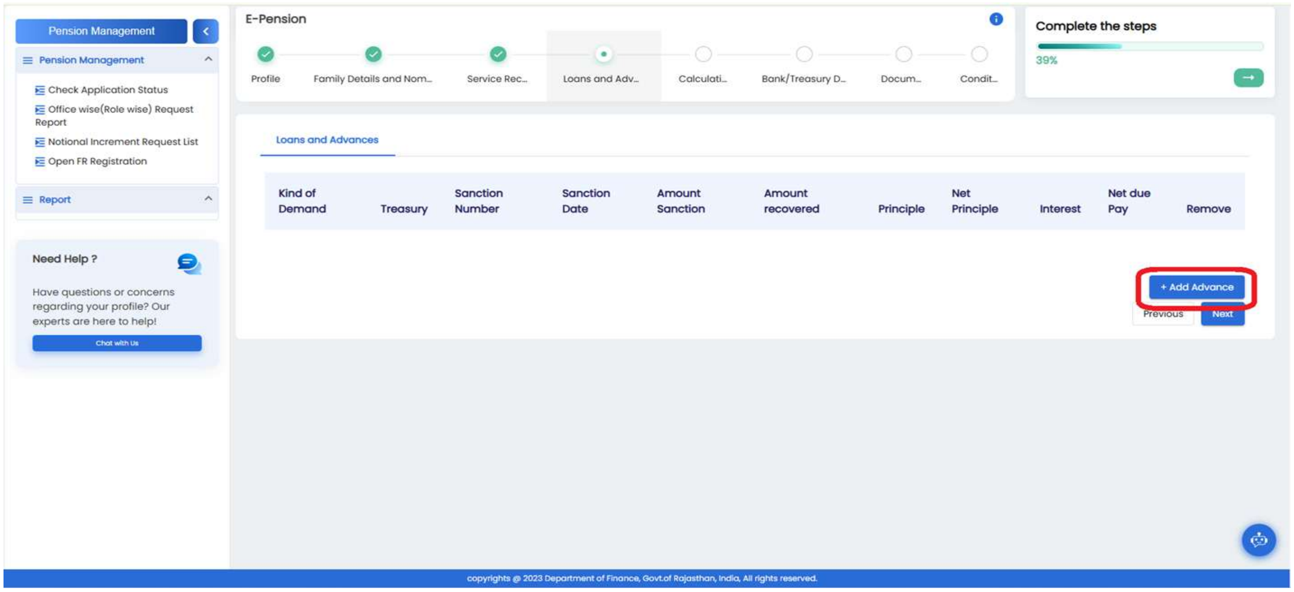

मेकर लेवल पर कर्मचारी के गणना संबंधी रिकॉर्ड की जांच

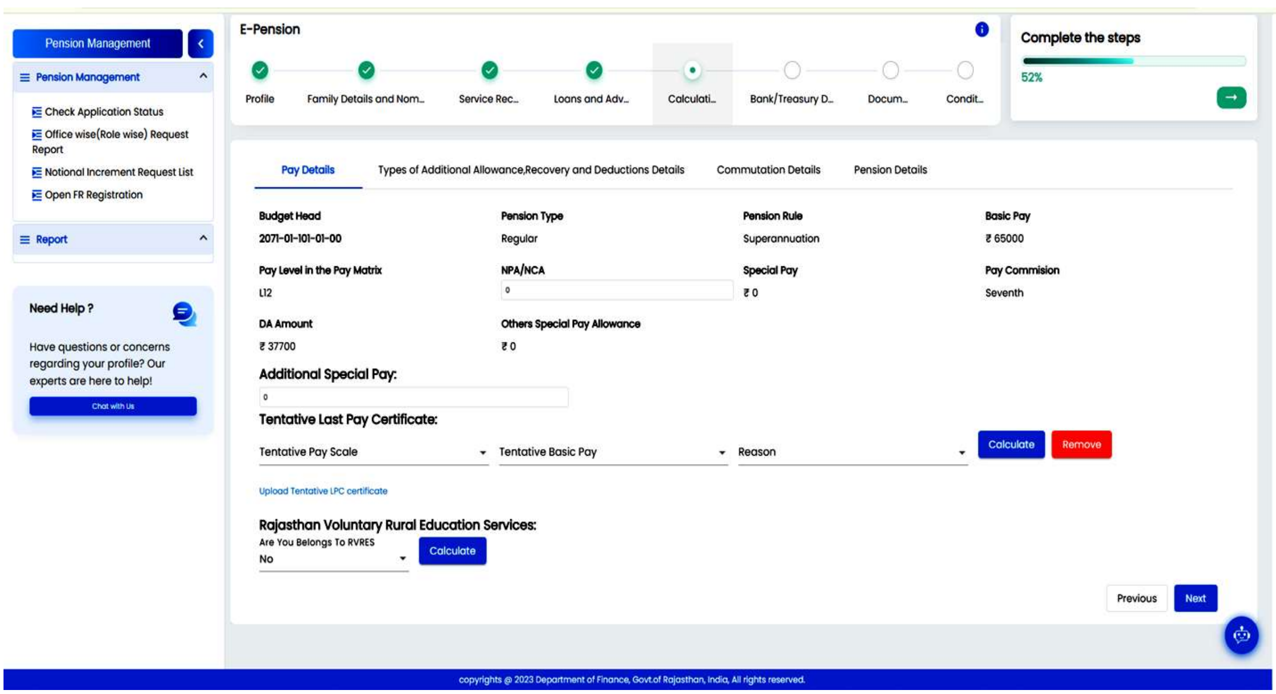

मेकर लेवल पर कर्मचारी के बैंक एवं कोषालय संबंधी जांच

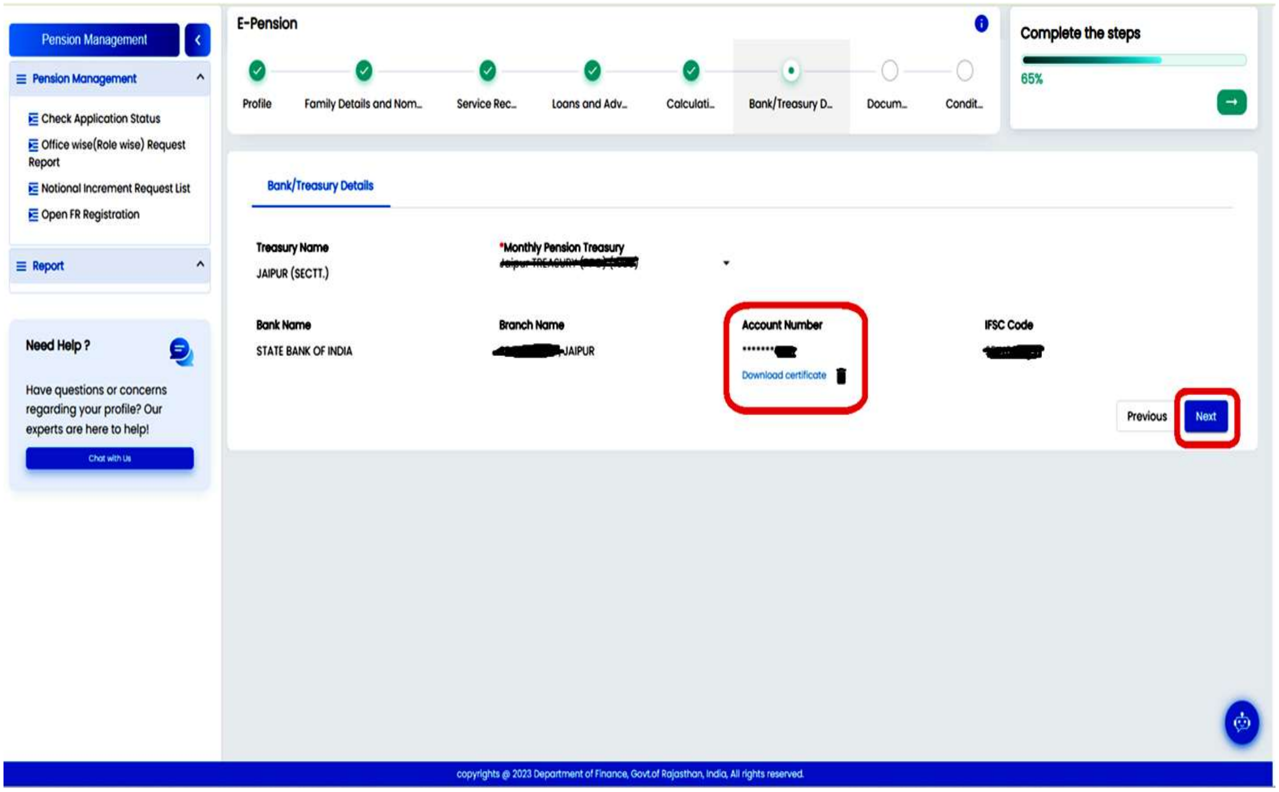

मेकर लेवल पर कर्मचारी के दस्तावेज संबंधी रिकॉर्ड की जांच

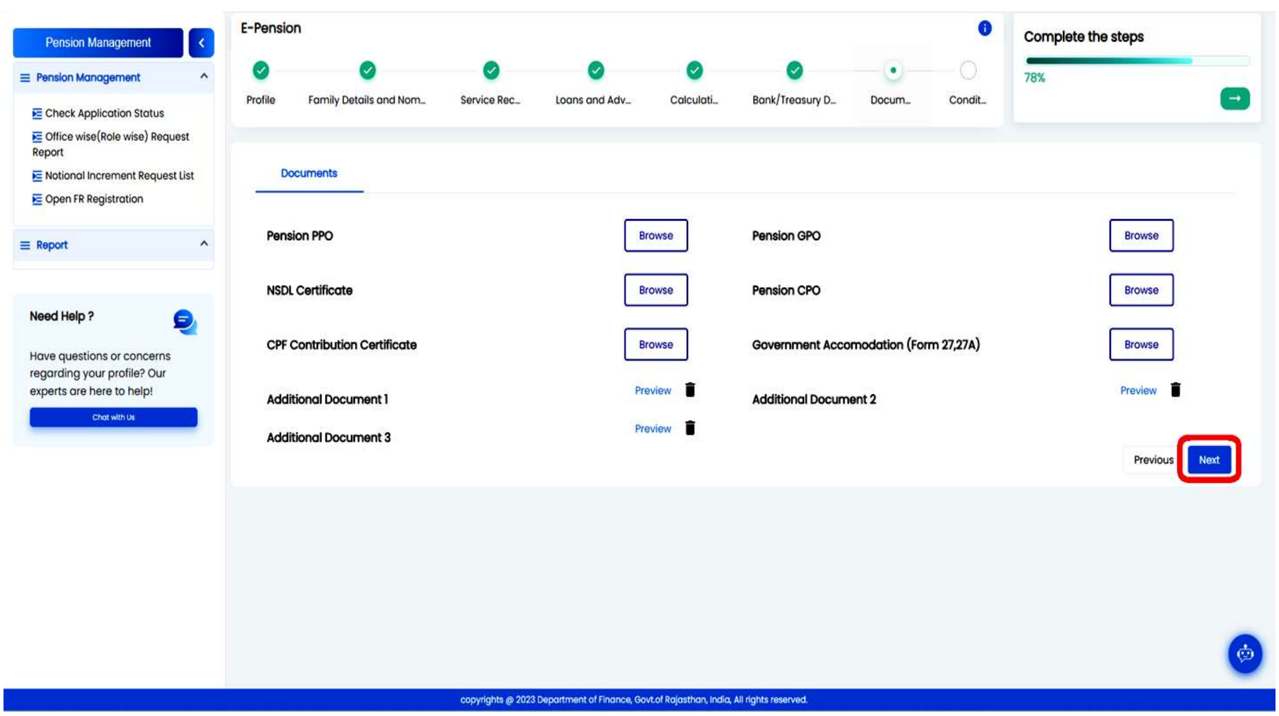

मेकर लेवल पर कर्मचारी के सेवानिवृत्ति आदेश संबंधी रिकॉर्ड की जांच

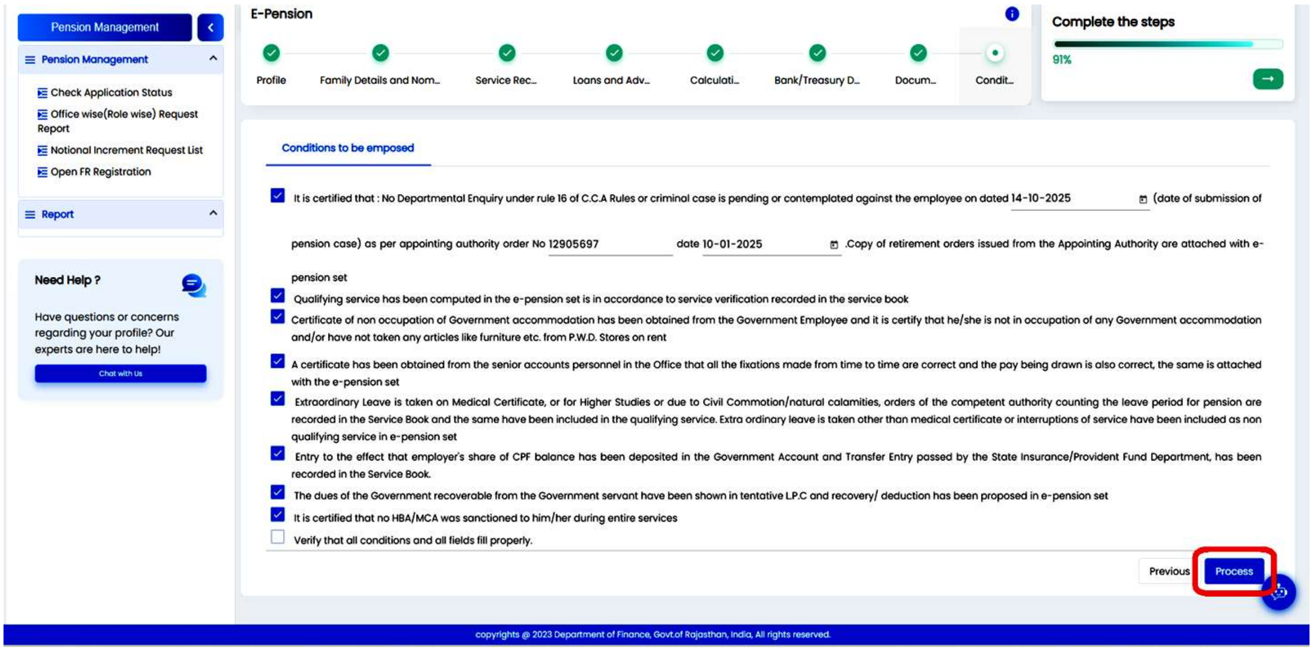

कार्यालयाध्यक्ष के चैकर लेवल पर लेखाकर्मी का प्रमाण पत्र अपलोड करने संबंधी जानकारी

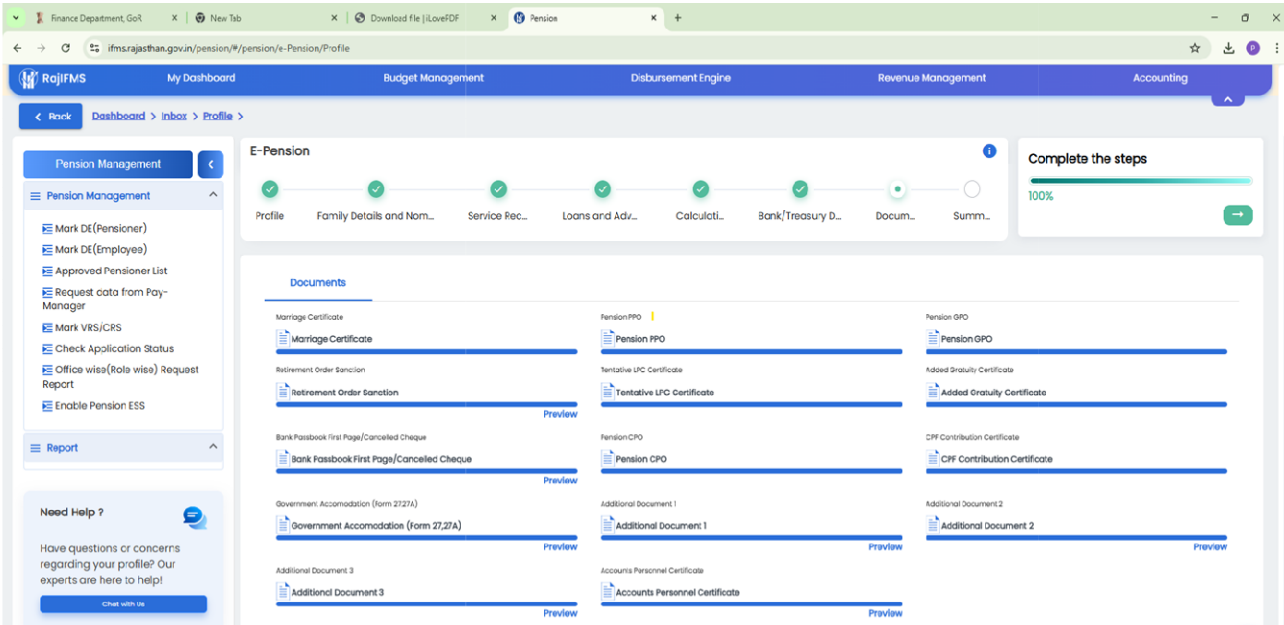

कार्यालयाध्यक्ष के अप्रूवर लेवल पर जांच की जाने वाली व्यक्तिगत जानकारी

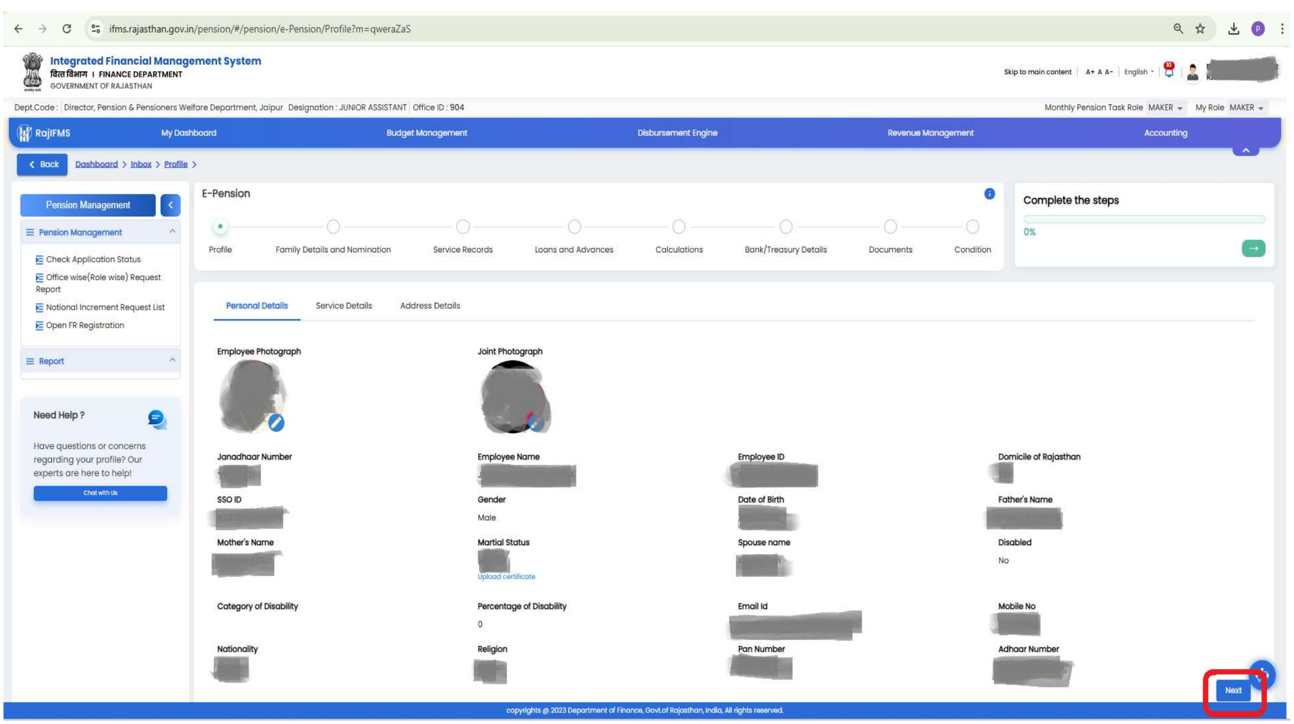

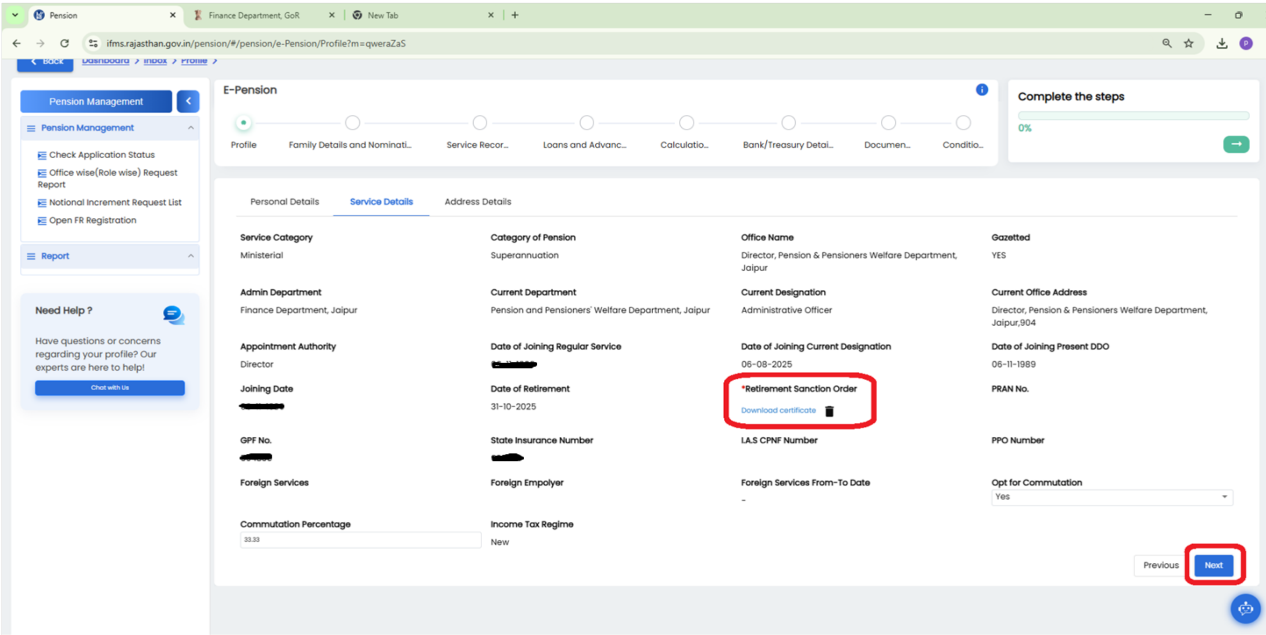

कार्यालयाध्यक्ष के अप्रूवर लेवल पर कर्मचारी के पते संबंधी विवरण की जांच

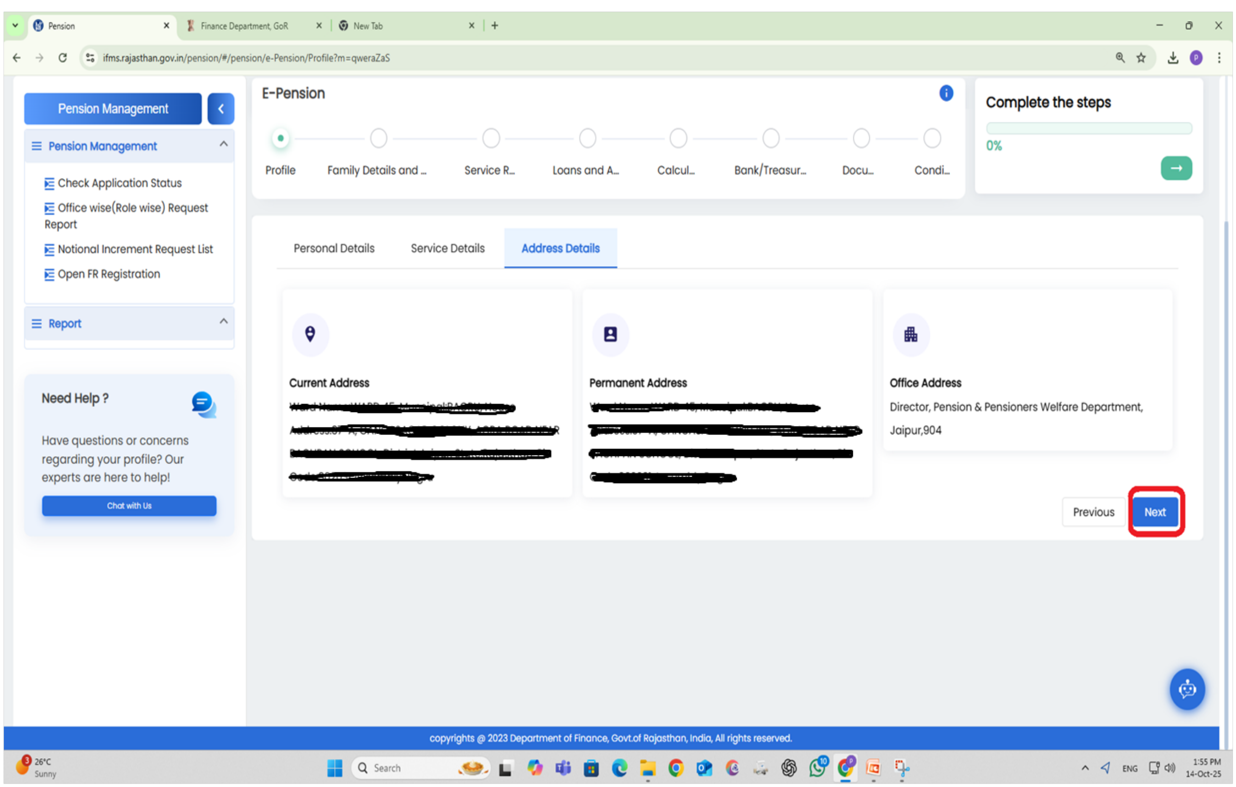

कार्यालयाध्यक्ष के अप्रूवर लेवल पर कर्मचारी के पारिवारिक विवरण संबंधी जांच

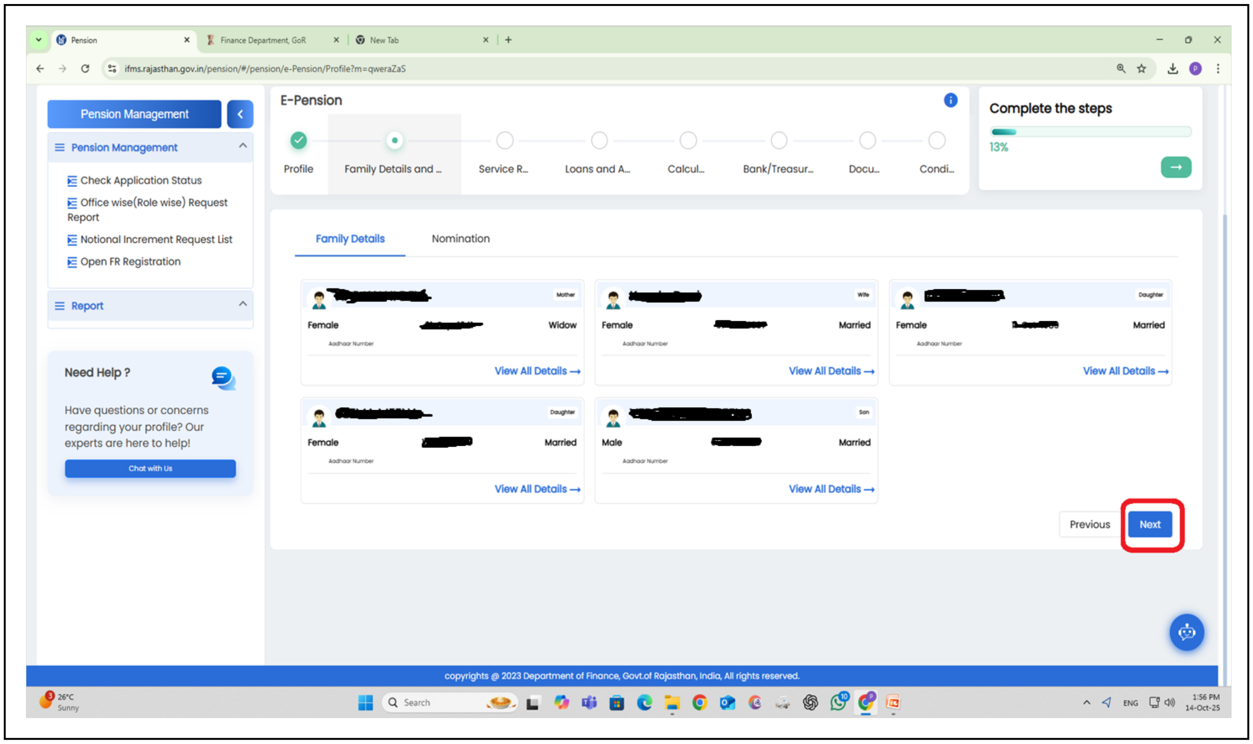

कार्यालयाध्यक्ष के अप्रूवर लेवल पर कर्मचारी के नॉमिनेशन विवरण संबंधी जांच

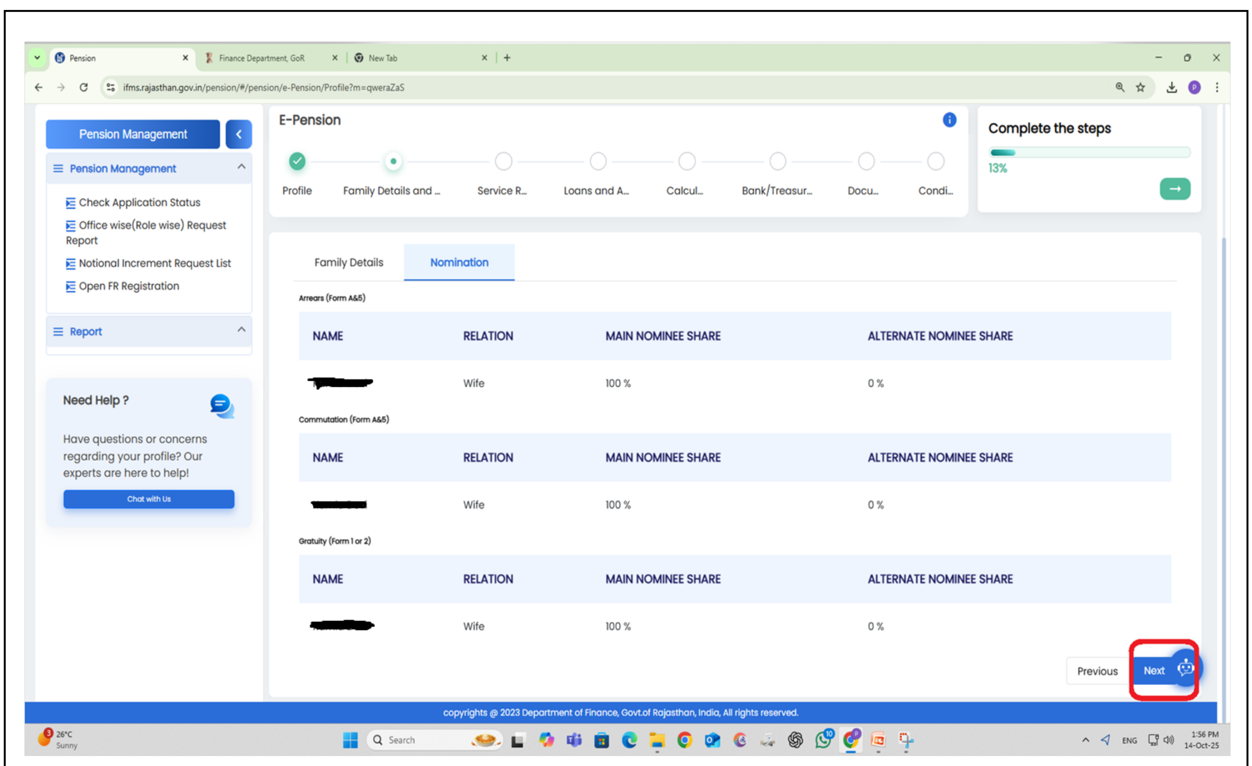

कार्यालयाध्यक्ष के अप्रूवर लेवल पर कर्मचारी के सर्विस रिकॉर्ड संबंधी जांच

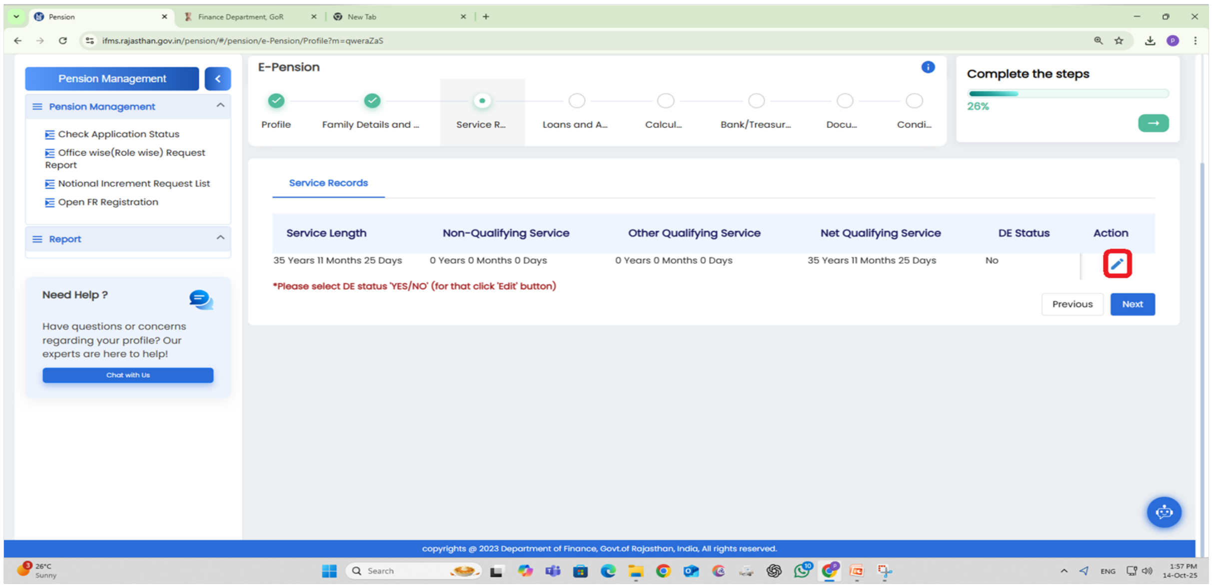

कार्यालयाध्यक्ष के अप्रूवर लेवल पर कर्मचारी के लॉन एवं अग्रिम रिकॉर्ड संबंधी जांच

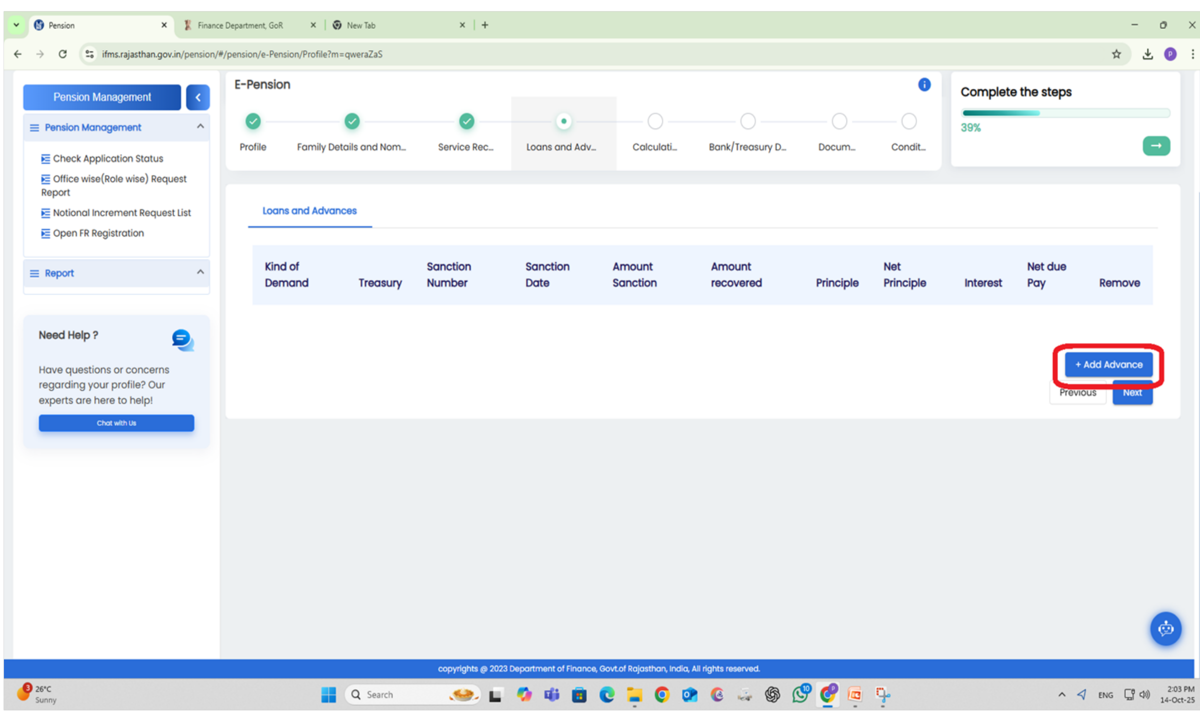

कार्यालयाध्यक्ष के अप्रूवर लेवल पर कर्मचारी के गणना संबंधी रिकॉर्ड की जांच

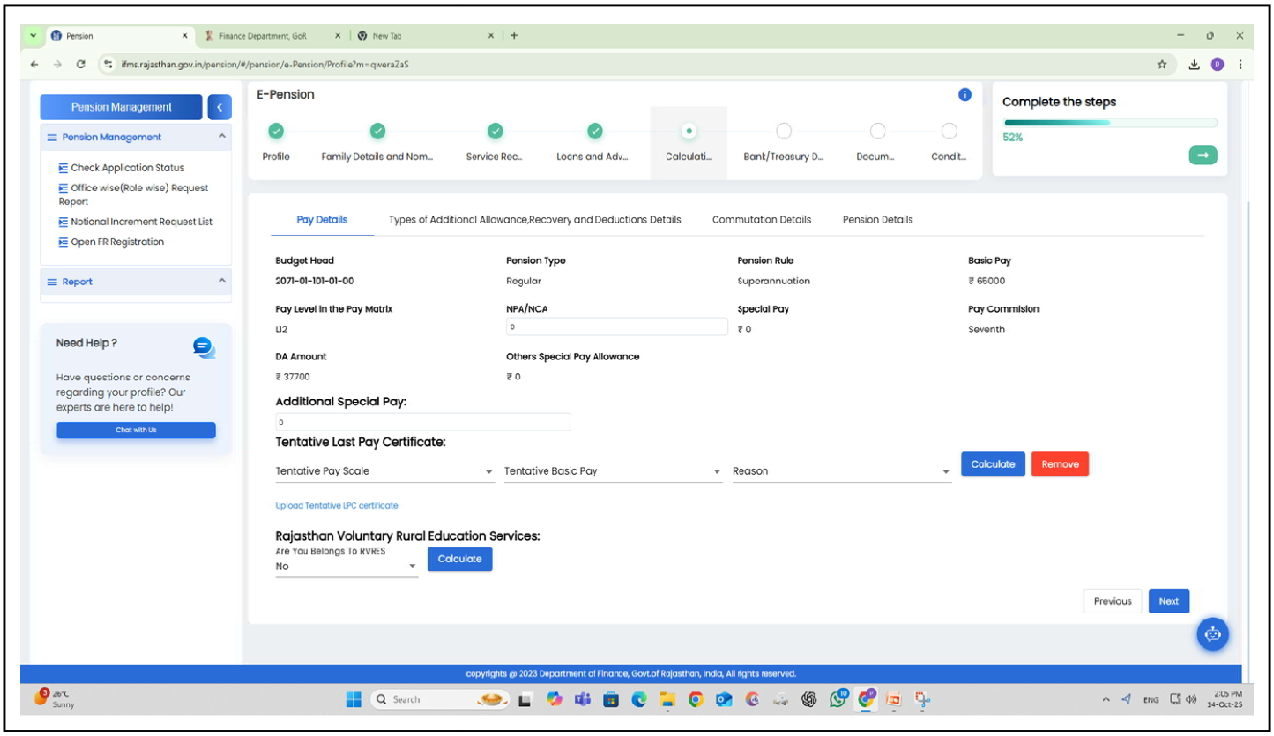

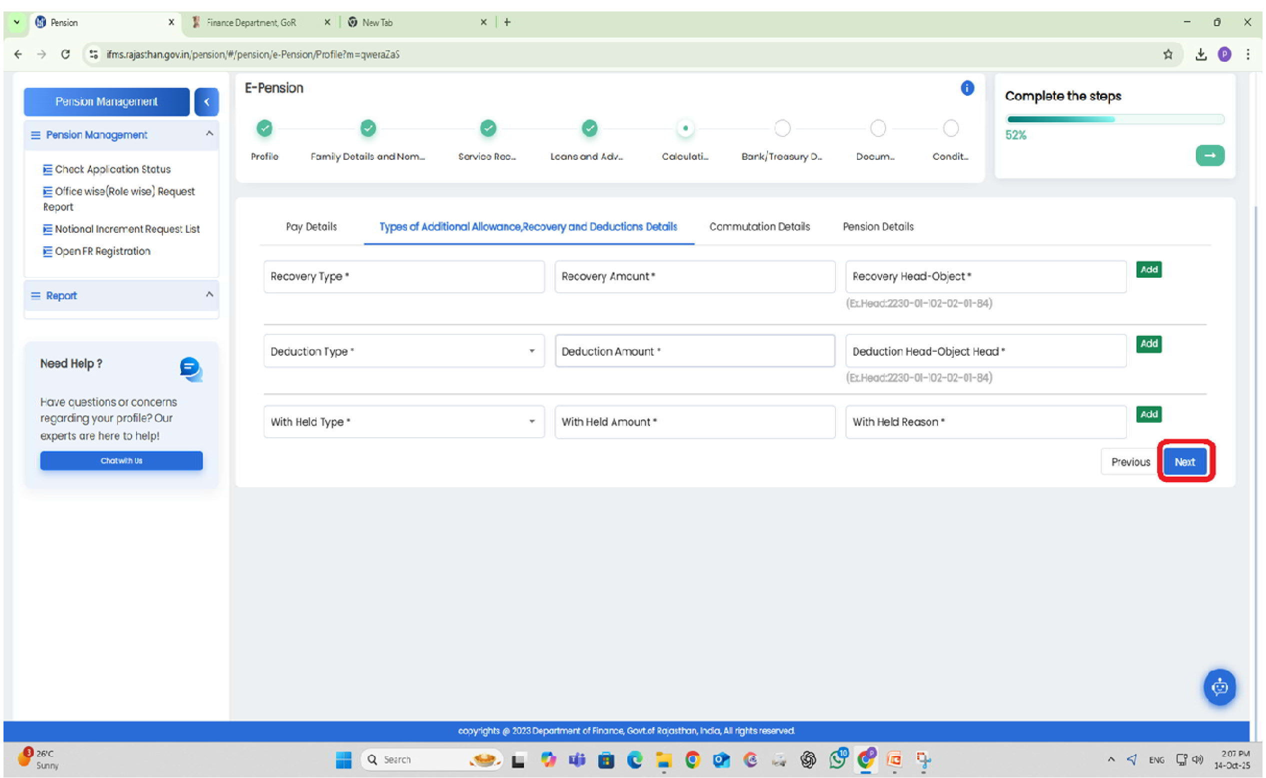

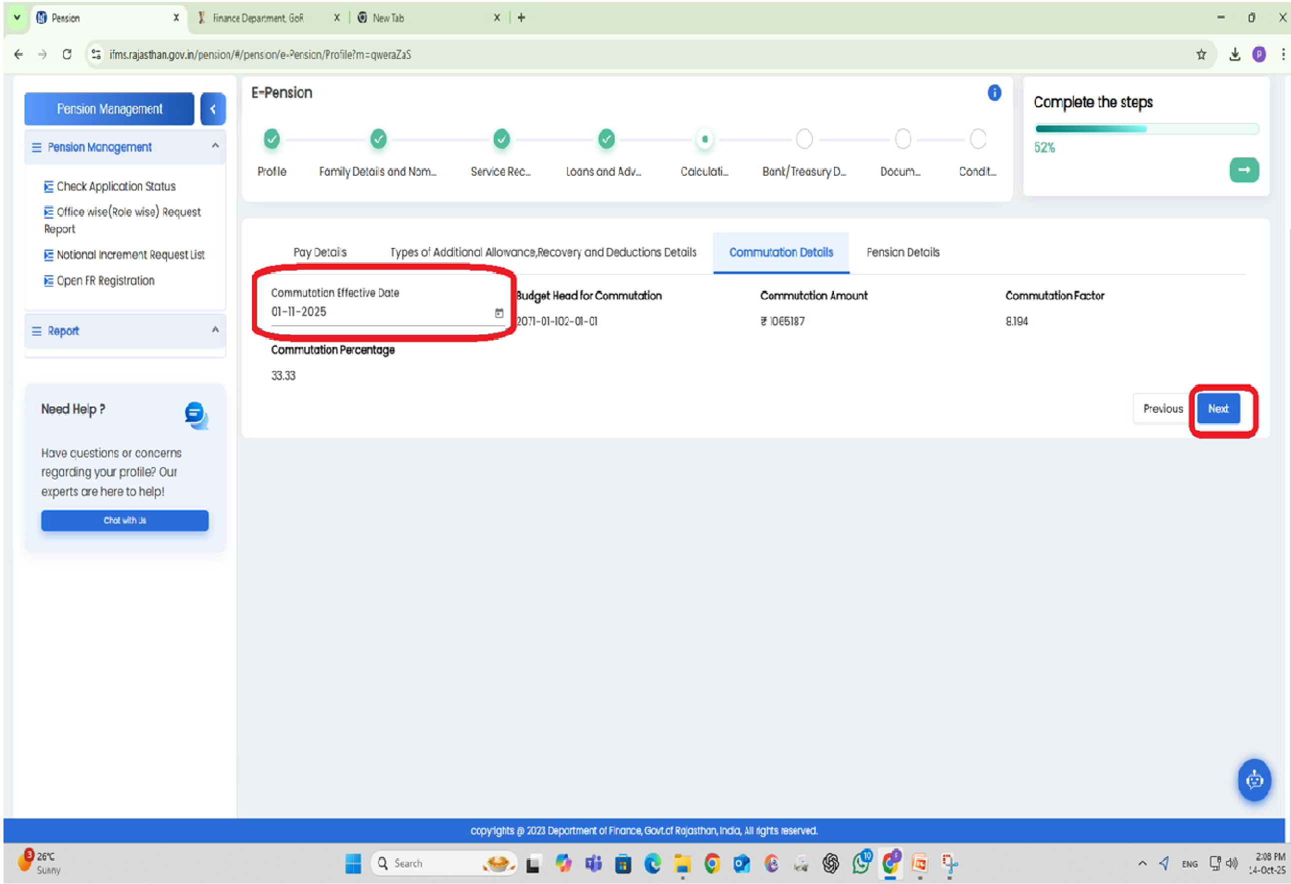
Pension Management
Check Application Status
Office wise(Role wise) Request Report
Notional Increment Request List
Open FR Registration
Report
Need Help ?
Have questions or concerns regarding your profile? Our experts are here to help!
E-Pension
Profile
Family Details and Nom...
Service Rec...
Loans and Adv...
Calculati...
Bank/Treasury D...
Docum...
Condit...
Complete the steps
52%
Pay Details
Types of Additional Allowance,Recovery and Deductions Details
Commutation Details
Pension Details
Commutation Effective Date
01-11-2025
Budget Head for Commutation
2071-01-102-01-01
Commutation Amount
₹ 1065187
Commutation Factor
8.194
Commutation Percentage
33.33
Previous
Next
copyrights @ 2023 Department of Finance, Govt.of Rajasthan, India, All rights reserved.

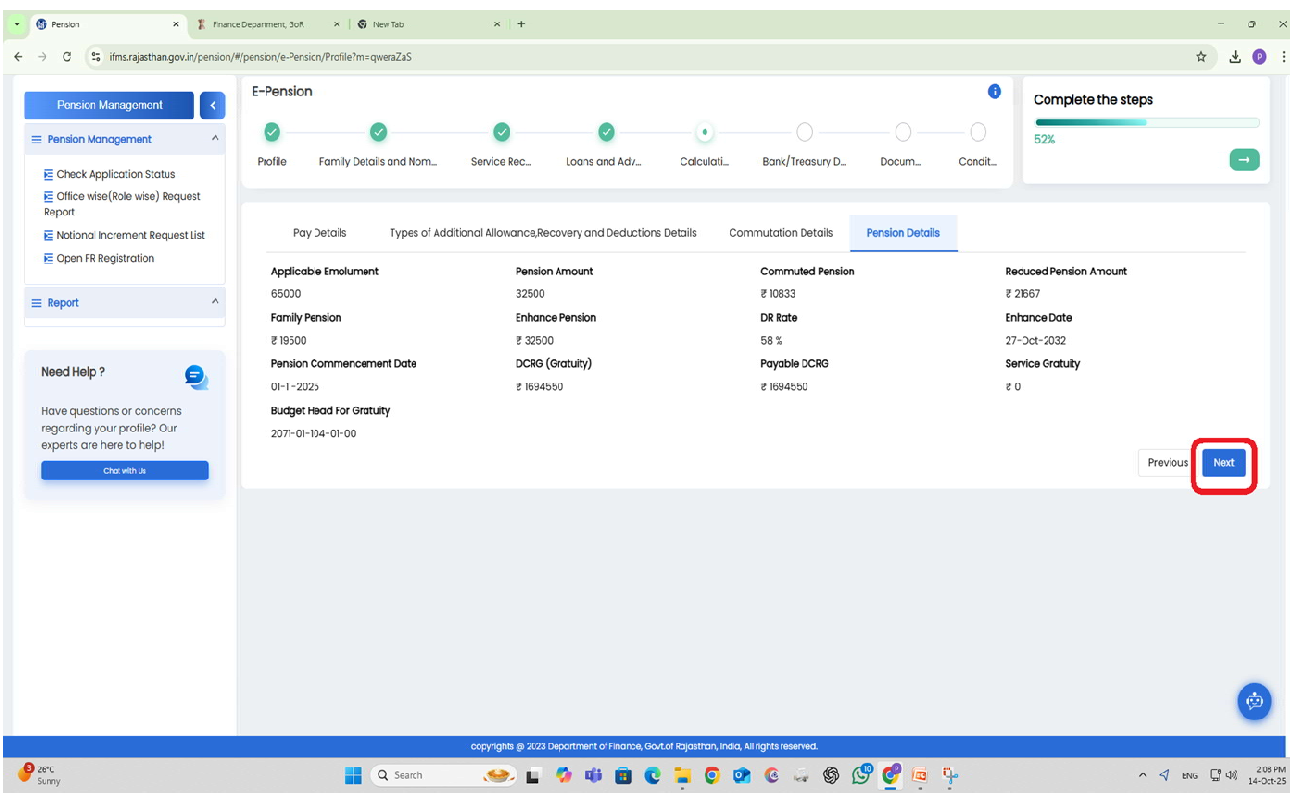
Pension Management
Check Application Status
Office wise(Role wise) Request Report
Notional Increment Request List
Open FR Registration
Report
Need Help ?
Have questions or concerns regarding your profile? Our experts are here to help!
E-Pension
Profile
Family Details and Nom...
Service Rec...
Loans and Adv...
Calculati...
Bank/Treasury D...
Docum...
Condit...
Complete the steps
52%
Pay Details
Types of Additional Allowance,Recovery and Deductions Details
Commutation Details
Pension Details
Applicable Emolument
65000
Pension Amount
32500
Commuted Pension
₹ 10833
Reduced Pension Amount
₹ 21667
Family Pension
₹ 19500
Enhance Pension
₹ 32500
DR Rate
58 %
Enhance Date
27-Oct-2032
Pension Commencement Date
01-11-2025
DCRG (Gratuity)
₹ 1694550
Payable DCRG
₹ 1694550
Service Gratuity
₹ 0
Budget Head For Gratuity
2071-01-104-01-00
Previous
Next
copyrights @ 2023 Department of Finance, Govt.of Rajasthan, India, All rights reserved.

कार्यालयाध्यक्ष के अप्रूवर लेवल पर कर्मचारी के बैंक से संबंधी रिकॉर्ड की जांच

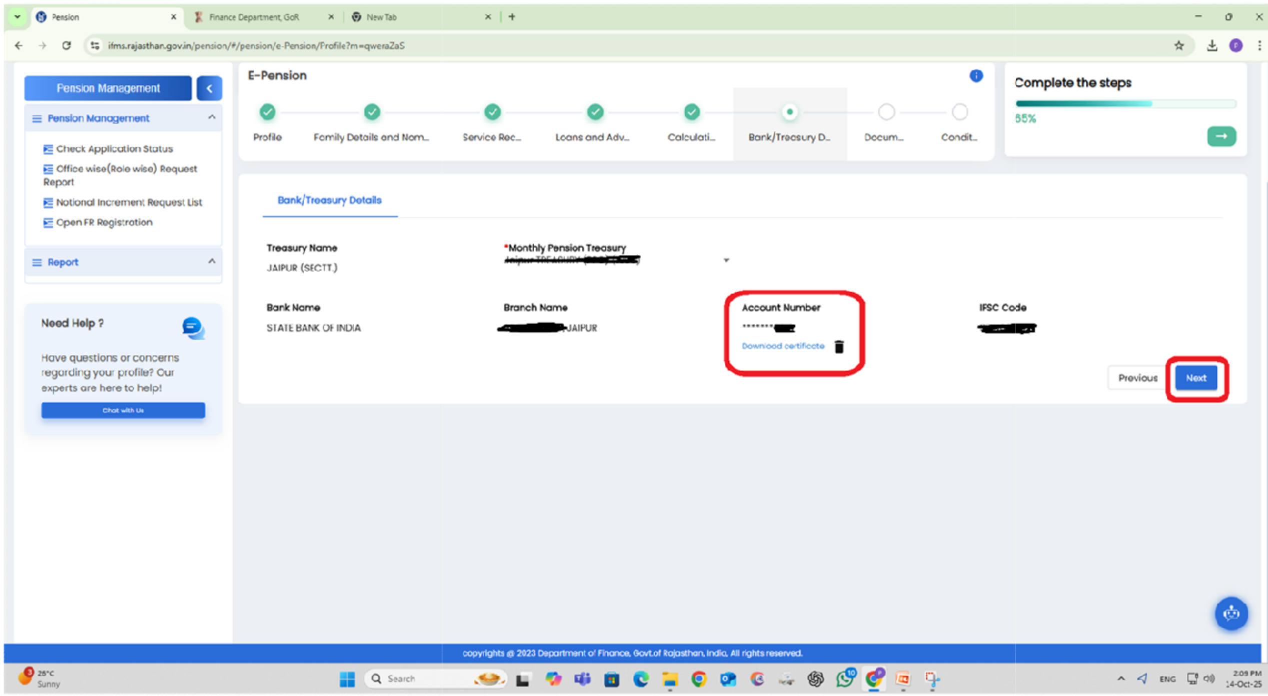

कार्यालयाध्यक्ष के अप्रूवर लेवल पर कर्मचारी के दस्तावेज संबंधी रिकॉर्ड की जांच

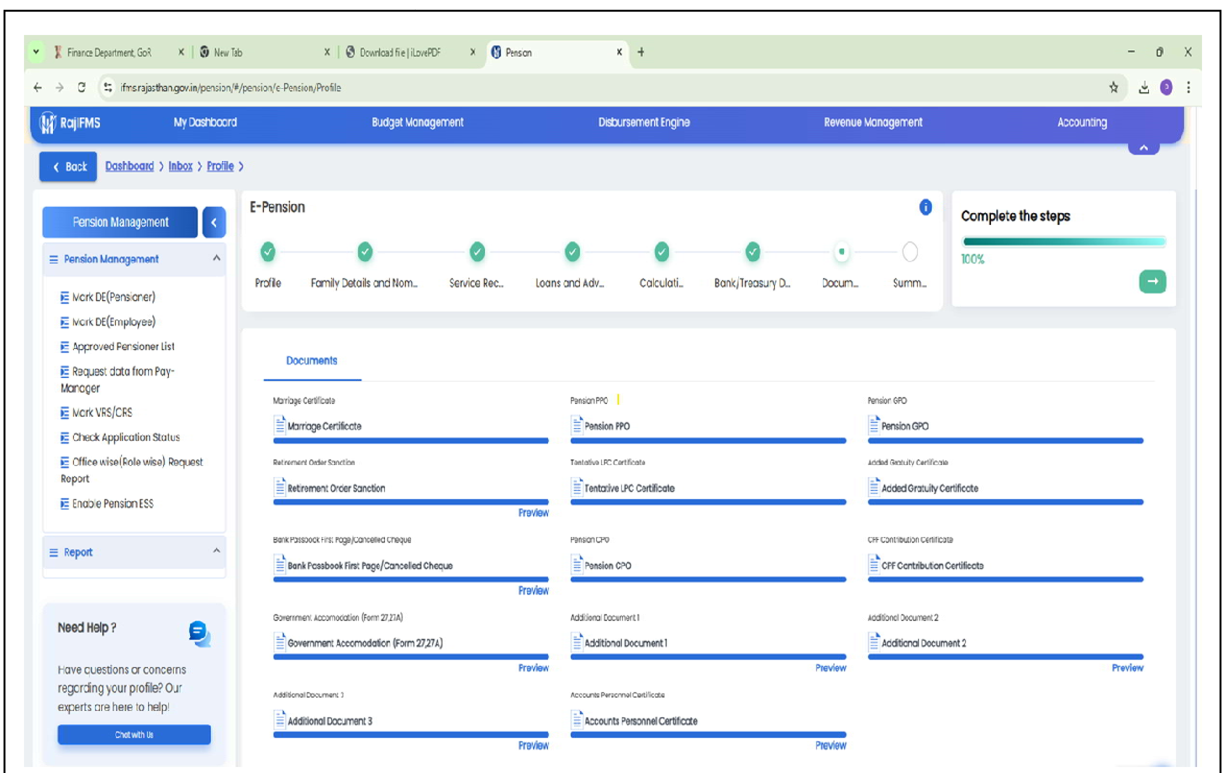

कार्यालयाध्यक्ष के अप्रूवर लेवल पर कर्मचारी के सेवानिवृत्ति आदेश संबंधी रिकॉर्ड की जांच

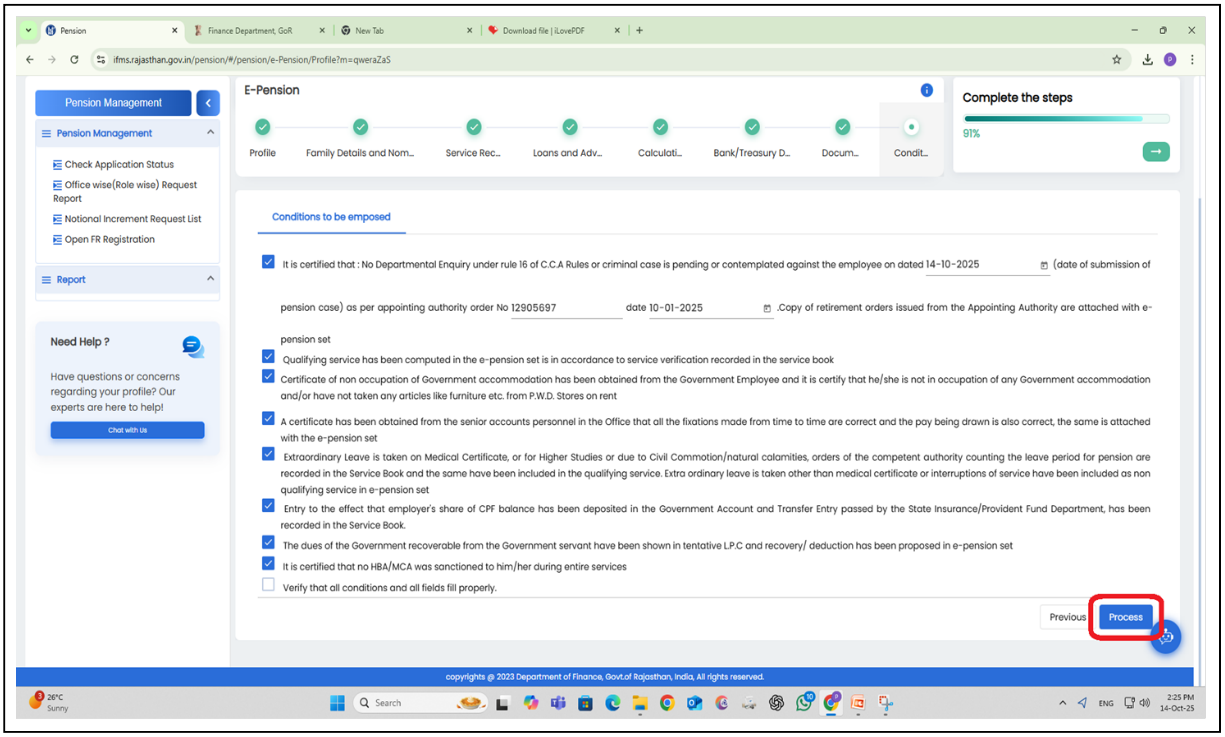

4.1 पेंशनर्स की संख्या एवं वर्गीकरण

क्र.सं.	वर्गीकरण	पेंशनर्स की संख्या
1.	राज्य पेंशनर्स	**383535**
2.	राज्य पारिवारिक पेंशनर्स	**213775**
3.	अन्य पेंशनर्स	
I	नगरपालिका के (सिविल, पारिवारिक एवं एनपीएस) पेंशनर्स	24777
Ii	राजस्व मण्डल / राजस्थान कर बोर्ड (अध्यक्ष / सदस्य) के पेंशनर्स	32
Iii	पंचायती राज (सिविल एवं पारिवारिक) पेशंनर्स	18624
Iv	दिनांक 04.09.2012 की अधिसूचना के अनुसार (विधवा / तलाकशुदा / अविवाहित पुत्री) पारिवारिक पेंशनर्स	5122
V	मीसा / डीआईआर पेंशनर्स	1628
Vi	अखिल भारतीय सेवा के पेंशनर्स	794
Vii	न्यायिक सेवा के पेंशनर्स	470
Viii	खादी (सिविल एवं पारिवारिक) पेंशनर्स	401
Ix	राजस्थान लोक सेवा आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्य) के पेंशनर्स	20
X	गैलेन्ट्री सिविल पेंशनर्स	1
xi	स्वतंत्रता सेनानी / टोंक जागीर पेंशनर्स	0

4.2 आयु वर्ग के अनुसार पेंशनर्स का वर्गीकरण :–

क्र.सं.	आयु वर्ग	पेंशनर्स की संख्या
1	60 – 69 वर्ष	388124
3	70 –75 वर्ष	105976
4	76 –80 वर्ष	54142
5	81 –85 वर्ष	31737
6	86 –90 वर्ष	13386
7	91 –95 वर्ष	3254
8	96 –100 वर्ष	596
9	100 से अधिक आयु	95

4.3 पेंशन भुगतान आदेश

I. दिनांक 01.11.2025 से दिनांक 30.04.2026 (गत 6 माह) तक पेंशन विभाग में कुल **11218** पेंशन प्रकरण प्राप्त हुए हैं एवं कुल **10547** पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी किये गये। जिनका संभागवार विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र.सं.	संभाग का नाम	प्राप्त प्रकरण	जारी पीपीओ
1.	जयपुर	3106	2778
2.	अजमेर	1530	1469
3.	बीकानेर	1259	1228
4.	जोधपुर	1823	1787
5.	भरतपुर	1044	971
6.	कोटा	949	879
7.	उदयपुर	1507	1435
	कुल	**11218**	**10547**

II. दिनांक 01.11.2025 से दिनांक 30.04.2026 (गत 6 माह) तक पेंशन विभाग में कुल **2461** पारिवारिक पेंशन प्रकरण प्राप्त हुए है एवं कुल **1864** पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश (FPPO) जारी किये गये। जिनका संभागवार विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र.सं.	संभाग का नाम	प्राप्त प्रकरण	जारी पीपीओ
1.	जयपुर	639	478
2.	अजमेर	407	298
3.	बीकानेर	243	201
4.	जोधपुर	291	255
5.	भरतपुर	262	180
6.	कोटा	228	155
7.	उदयपुर	391	297
	कुल	**2461**	**1864**

III. दिनांक 01.11.2025 से दिनांक 30.04.2026 (गत 6 माह) तक प्रमुख विभाग जिनके द्वारा पेंशन प्रकरण विभागीय स्तर से पेंशन विभाग को प्रेषित नहीं किए गए है, उनका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र.सं.	विभाग का नाम	सेवानिवृत्त कार्मिकों की संख्या	पेंशन विभाग द्वारा जारी अधिकृतियों की संख्या	अग्रेषित नहीं किये गये पेंशन प्रकरणों की कुल संख्या
1.	माध्यमिक शिक्षा विभाग	4158	4034	191
2.	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	417	358	33
3.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	614	478	109

4.	पुलिस विभाग	523	469	68
5.	जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग	662	594	53
6.	आयुर्वेद विभाग	154	88	53
7.	पशुपालन विभाग	142	118	25
8.	राजस्व विभाग	204	152	41
9.	वन एवं पर्यावरण विभाग	259	199	40
10.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	202	166	26
	कुल	**7335**	**6656**	**639**

IV. दिनांक 01.05.2026 से दिनांक 31.05.2026 तक पेंशन विभाग में कुल **2035** पेंशन प्रकरण प्राप्त हुए एवं कुल **1599** पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी किये गये। जिनका संभागवार विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	संभाग का नाम	प्राप्त प्रकरण	जारी पीपीओ
1.	जयपुर	584	387
2.	अजमेर	314	284
3.	बीकानेर	175	156
4.	जोधपुर	369	305
5.	भरतपुर	179	144
6.	कोटा	167	115
7.	उदयपुर	247	208
	कुल	**2035**	**1599**

V. दिनांक 01.05.2026 से दिनांक 31.05.2026 तक पेंशन विभाग में कुल **342** पारिवारिक पेंशन प्रकरण प्राप्त हुए एवं कुल **231** पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश (FPPO) जारी किये गये। जिनका संभागवार विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	संभाग का नाम	प्राप्त प्रकरण	जारी पीपीओ
1.	जयपुर	100	64
2.	अजमेर	64	43
3.	बीकानेर	40	31
4.	जोधपुर	41	31
5.	भरतपुर	24	15
6.	कोटा	36	25
7.	उदयपुर	37	22
	कुल	**342**	**231**

VI. दिनांक 01.05.2026 से दिनांक 31.05.2026 तक ऐसे पेंशन प्रकरण जो विभाग स्तर से अग्रेषित नहीं किये गये हैं, जिनका संभागवार विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	विभाग का नाम	सेवानिवृत्त कार्मिकों की संख्या	पेंशन विभाग द्वारा जारी अधिकृतियों की संख्या	अग्रेषित नहीं किये गये पेंशन प्रकरणों की संख्या
1.	माध्यमिक शिक्षा विभाग	842	648	93
2.	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	109	52	28
3.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	172	79	81
4.	पुलिस विभाग	105	43	40
5.	जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग	136	66	32
6.	आयुर्वेद विभाग	47	12	29
7.	पशुपालन विभाग	37	13	17
8.	राजस्व विभाग	43	22	16
9.	वन एवं पर्यावरण विभाग	56	22	24
10.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	36	13	13
	कुल	**1583**	**970**	**373**

4.4 जून, 2026 से अगस्त, 2026 तक सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की विभागवार संख्या

Department-wise Upcoming Retirement 3 Months (June-26 to Aug-26)					
S.No.	**Department Name**	**June-2026**	**Jul-2026**	**Aug-2026**	**Grand Total**
1.	Secondary Education Department, Bikaner	1679	1902	1076	4657
2.	Public Health Engineering Department, Jaipur	229	256	166	651
3.	Medical and Health Services, Jaipur	191	205	142	538
4.	Police Department, Jaipur	168	233	135	536
5.	Elementry Education Department, Bikaner	143	173	113	429
6.	Ayurved Department, Ajmer	81	92	48	221
7.	Board of Revenue, Ajmer	77	69	48	194
8.	Forest Department, Jaipur	75	71	47	193
9.	Public Works Department, Jaipur	66	57	40	163
10.	Animal Husbandry Department, Jaipur	51	70	30	151
11.	Rajasthan High Court, Jodhpur	53	41	27	121
12.	College Education Department, Jaipur	51	43	22	116
13.	Sanskrit Education Department, Jaipur	31	42	26	99
14.	Agriculture Department, Jaipur	26	31	14	71
15.	Excise Department, Udaipur	21	32	14	67
16.	Integrated Child Development Services, Jaipur	26	25	16	67
17.	Water Resources Department, Jaipur	25	20	13	58
18.	S.M.S. Medical College and Associated Group of Hospitals, Jaipur	15	21	21	57
19.	Medical and Health Services (Family Welfare), Jaipur	18	15	16	49
20.	Treasuries and Accounts Department, Jaipur	16	19	10	45
21.	Commercial Taxes Department, Jaipur	20	7	15	42
22.	Dr. S.N. Medical College and Associated Group of Hospitals, Jodhpur	13	19	7	39
23.	Technical (Training) Education, Jodhpur	15	10	14	39
24.	Indira Gandhi Nahar Project, Bikaner	10	17	9	36
25.	Technical Education Department, Jodhpur	11	9	11	31
26.	Mines and Geology Department, Udaipur	7	16	4	27
27.	Medical and Health Services (ESI), Jaipur	8	9	8	25
28.	Department of Personnel (Government Secretariat, including State	6	12	6	24
29.	Rural Development and Panchayati Raj Department, Jaipur	14	5	4	23
30.	State Insurance and Provident Fund Department, Jaipur	11	10	1	22

5. परिवेदना निवारण

विभाग में पेंशनर्स की समस्याओं/परिवेदनाओं के समाधान हेतु पेंशनर्स समस्या निवारण केन्द्र (PGRC) की स्थापना की गई है। पेंशनर्स सीधे ही PGRC को अपनी पेंशन संबंधी समस्याएं/शिकायतें प्रस्तुत कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा संचालित ऑनलाईन प्रक्रिया राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का भी निस्तारण किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यालयों यथा राज्यपाल सचिवालय, मुख्य मंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय एवं वित्त विभाग आदि के माध्यम से प्राप्त पेंशनर्स की समस्याओं एवं परिवेदनाओं के निराकरण की कार्यवाही भी की जाती है। दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 30.04.2026 तक प्राप्त परिवेदनाएं एवं उनके निवारण का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	प्राप्त परिवेदना का माध्यम	प्राप्त परिवेदनाएं	निस्तारित परिवेदनाएं	बकाया परिवेदना
1.	पीजीआरसी (01.10.2025 से 30.04.2026)	5533	5455	78
2.	सम्पर्क पोर्टल	3039	3039	00
3.	सीएमओ/सीएस कार्यालय/वित्त विभाग आदि	153	150	03

दिनांक 01.05.2026 से दिनांक 31.05.2026 तक प्राप्त परिवेदनाएं एवं उनके निवारण का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	प्राप्त परिवेदना का माध्यम	प्रारम्भिक परिवेदना शेष	माह के दौरान प्राप्त	माह के दौरान निस्तारित	अन्तिम बकाया परिवेदना
1.	सम्पर्क पोर्टल	00	173	167	06
2.	पीजीआरसी	03	137	135	05
3.	सीएमओ/सीएस कार्यालय/वित्त विभाग आदि	03	21	22	02

6. वृतांत

I. श्रीमती शांति देवी पत्नी स्व. श्री भैरूलाल धारक पारिवारिक पेंशन पीपीओ संख्या 16722 (आर) एसएफ सेवानिवृत्त दिनांक 30.06.2003 है। पारिवारिक पेंशनर श्रीमती शांति देवी द्वारा दिनांक 27.05.2026 को जन्मतिथि निर्धारण करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। पेंशनर श्री भैरूलाल की पेंशन पत्रावली का परीक्षण करने पर दो अलग–अलग जन्मतिथि लिखी होना पाया गया जिसके कारण जन्मतिथि निर्धारण में समस्या आ रही थी। उक्त समस्या कर निराकरण तकनीकी टीम के सहयोग से कराते हुए दिनांक 27.05.2026 को ही नियमानुसार पारिवारिक पेंशनर श्रीमती शांति देवी की जन्मतिथि का निर्धारण कर उन्हें राहत प्रदान की गई। श्रीमती शांति देवी पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि आवेदन करने की दिनांक को निर्धारित करने के लिए उन्होंने विभाग का अभार प्रकट किया।

II. श्रीमती बीना कुमारी, सहायक लेखाधिकारी–प्रथम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, की सेवानिवृत्ति दिनांक 31.05.2026 को थी। कार्मिक के विभाग द्वारा पेंशन विभाग को पेंशन प्रकरण 25.05.2026 को प्रेषित किया गया। पेंशन विभाग द्वारा दिनांक 26.05.2026 को पीपीओ जारी कर दिया गया। पेंशन विभाग के कार्मिकों द्वारा श्रीमती बीना कुमारी के पेंशन प्रकरण को त्वरित गति से बहुत ही कम समय में परीक्षण कर पीपीओ जारी करवाकर उसकी फोटो प्रति उपलब्ध करवा दी गई। श्रीमती बीना कुमार ने पेंशन विभाग द्वारा त्वरित गति से पीपीओ जारी करवाने की कार्रवाई हेतु पेंशन विभाग का आभार प्रकट किया।

III. कार्मिक श्री इकबाल मोहम्मद, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय नगर निगम कोटा की मृत्यु दिनांक 22.04.2021 गई थी। स्व. श्री इकबाल मोहम्मद की नियुक्ति दिनांक 05.03.2014 हुई। स्व. श्री इकबाल मोहम्मद की नियुक्ति वर्ष 2004 के पश्चात होने के कारण इनका प्रकरण एनपीएस योजना के अन्तर्गत था, जिसके कारण एनपीएस की राशि के संबंध में स्पष्टता नहीं होने एवं जमा होने के अभाव में कार्मिक के परिजन पारिवारिक पेंशन के परिलाभों हेतु पिछले 6 साल से अपने विभाग के चक्कर लगा रहे थे। दिनांक 07.05.2026 को श्रीमती शकिला बानो पत्नी स्व. श्री इकबाल मोहम्मद ने पारिवारिक पेंशन हेतु अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, कोटा में सम्पर्क कर अपने प्रकरण को प्रस्तुत किया तत्पश्चात क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा द्वारा निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग एवं संबंधित कार्यालय नगर निगम, कोटा से निरन्तर पत्राचार एवं समन्वय किया जाकर एनपीएस की राशि समुचित मद में जमा करवाकर पेंशन प्रकरण का त्वरित गति से निस्तारित करवाया गया एवं दिनांक 20.05.2026 को एफपीपीओ संख्या 8104157 (R) जारी किया गया, जिसके लिए श्रीमती शकिला बानो पारिवारिक पेंशनर ने पेंशन विभाग का आभार प्रकट किया।

IV. पेंशनर श्री जगदीश सिंह धारक पीपीओ संख्या 1206394 द्वारा पेंशन क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर में पेंशन अदालत में दिनांक 06.04.2026 को अपनी परिवेदना दर्ज करवाई।

उनके द्वारा यह अवगत करवाया गया कि स्कूल शिक्षा विभाग में प्रोविजनल पेंशन प्रकरण हेतु आवेदन किया जो कि अभी तक संबंधित विभाग में लंबित है। पेंशनर श्री जगदीश सिंह राउमावि, हीरादेसर, पाली से वरिष्ठ सहायक पद से दिनांक 31.03.2014 को सेवानिवृत्त हुए, चूंकि पेंशनर द्वारा विभागीय जांच बकाया रहने के कारण कुलक नहीं भरा गया जिसके कारण प्रकरण लंबित रहा। वर्तमान में पेंशनर हृदय रोग से पीड़ित है जिसके कारण पेंशनर द्वारा दिनांक 07.01.2026 को प्रधानाचार्य, राउमावि, हीरादेसर को प्रोविजनल पेंशन प्रकरण हेतु आवेदन किया गया एवं क्षेत्रीय पेंशन कार्यालय, जोधपुर में पेंशन अदालत के दौरान अपनी परिवेदना प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात क्षेत्रीय पेंशन कार्यालय, जोधपुर द्वारा पेंशनर के पैतृक विभाग से समन्वय कर दिनांक 03.06.2026 को पीपीओ संख्या 1206394 जारी किया गया एवं पेंशनर को तत्समय पीपीओ की फोटोप्रति उपलब्ध करवा दी गई। पेंशनर श्री जगदीश सिंह ने क्षेत्रीय पेंशन कार्यालय, जोधपुर द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई लिए पेंशन विभाग का आभार प्रकट किया गया।

V. पेंशनर श्री बाबू लाल, नरसिंहपुरा धारक पीपीओ संख्या 1202256 द्वारा पेंशन कार्यालय उदयपुर में दिनांक 27.05.2026 को सम्पर्क किया गया। श्री बाबू लाल द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके पेंशन कूलक में अंकित नाम एवं पीपीओ में अंकित नाम में भिन्नता आ रही थी। Data Mismatch के कारण आरजीएचएस कार्ड बनवाने एवं आरजीएचएस स्कीम के तहत उपचार लेने में कठिनाइयों का सामाना करना पड़ रहा था। श्री बाबू लाल की परिस्थितियों के मद्देनजर दिनांक 27.05.2026 को ही क्षेत्रीय पेंशन कार्यालय, उदयपुर द्वारा नाम संशोधन कर पेंशनर श्री बाबूलाल को राहत प्रदान की गई। पेंशन विभाग द्वारा की त्वरित कार्रवाई के लिए पेंशनर श्री बाबू लाल ने क्षेत्रीय पेंशन कार्यालय, उदयपुर को को धन्यवाद ज्ञापित किया।

VI. पेंशनर श्री शशि कुमार चौधरी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर पीपीओ संख्या 1285246 का रिवीजन प्रकरण दिनांक 27.03.2026 को पेंशन विभाग को प्रेषित किया गया। लेकिन तकनीकी समस्या के कारण पेंशन प्रकरण क्षेत्रीय पेंशन कार्यालय, बीकानेर के स्थान पर क्षेत्रीय पेंशन कार्यालय, जयपुर में बार–बार प्रेषित हो रहा था। क्षेत्रीय पेंशन कार्यालय, जयपुर के क्षेत्राधिकार से संबंधित नहीं होने के कारण कई बार आक्षेप लगाकर प्रकरण मूल विभाग को प्रेषित किए जाने पर श्री चौधरी द्वारा दिनांक 21.05.2026 को क्षेत्रीय पेंशन कार्यालय, बीकानेर में व्यक्तिशः उपस्थित होकर अपनी समस्या से अवगत कराया गया। पेंशन निदेशालय की तकनीकी शाखा से समन्वय स्थापित कर प्रकरण की तकनीकी समस्या का समाधान करवाया गया। तत्पश्चात् दिनांक 02.06.2026 को प्रकरण क्षेत्रीय पेंशन कार्यालय, बीकानेर में प्राप्त होने पर मात्र 1 घण्टे में रिवीजन अधिकृति जारी कर श्री शशि कुमार चौधरी को उपलब्ध करवायी गयी। तकनीकी समस्या का निराकरण करवाकर त्वरित गति से क्षेत्रीय पेंशन कार्यालय, बीकानेर द्वारा रिवीजन अधिकृति जारी की गई, इस पर पेंशनर श्री शशि कुमार चौधरी द्वारा आभार प्रकट किया गया।

7. स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित पेंशन अदालत की प्रगति रिपोर्ट

मुख्य सचिव महोदय के निर्देश एवं वित्त (पेंशन) विभाग के परिपत्र दिनांक 18.02.2025 की अनुपालना में स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को पेंशन प्रकरण प्रस्तुत करने एवं सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान आदेश जारी कराने में आ रही समस्याओं एवं पेंशन संबंधी शिकायतों के समाधान हेतु दिनांक 27.04.2026 को संभाग स्तर पर प्रथम पेंशन अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

दिनांक 01.03.2026 की स्थिति में स्कूल शिक्षा विभाग के 491 पेंशन प्रकरण प्दपजपंजम नहीं हुए, 411 प्रकरण कमी पूर्ति के अभाव में पेंशन विभाग एवं शिक्षा विभाग के मध्य बकाया थे एवं 156 पारिवारिक पेंशन प्रकरणों में पेंशन भुगतान आदेश जारी किया जाना शेष था।

दिनांक 01.03.2026 से दिनांक 27.04.2026 को आयोजित पेंशन अदालत तक स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा initiate नहीं किए गए 491 पेंशन प्रकरणों में से 184 पेंशन प्रकरण initiate करवाकर पेंशन अधिकृतियां जारी करवायी गयी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पेंशन विभाग को 411 अपूर्ण पेंशन प्रकरण प्रस्तुत किए गए थे, जिनके आक्षेपों की पूर्ति करवाकर 206 पेंशन अधिकृतियां जारी करवायी गयी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 156 अपूर्ण पारिवारिक पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग को प्रस्तुत किये गये थे, जिनमें से 32 प्रकरणों में आक्षेपों की पूर्ति करवाकर पारिवारिक पेंशन अधिकृतियां जारी करवायी गयी।

प्रथम पेंशन अदालत में 636 बकाया रहे पेंशन प्रकरणों के निस्तारण करने हेतु वित्त (पेंशन) विभाग के परिपत्र दिनांक 18.02.2026 की अनुपालना में निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर के स्तर पर दिनांक 25.05.2026 को समीक्षा कैम्प आयोजित किया गया।

समीक्षा कैम्प उपरान्त कुल 315 पेंशन प्रकरणों का निस्तारण करवाया गया एवं 321 पेंशन प्रकरण बकाया रहे हैं। बकाया पेंशन प्रकरणों में 216 पेंशन प्रकरण 01.01.2004 के पश्चात् नियुक्त कार्मिकों से संबंधित है, जिनके प्रमाण पत्र राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग से प्राप्त नहीं होने के कारण बकाया चल रहे हैं, जिसके संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को लिखा जाकर प्रकरणों के निस्तारण की कार्रवाई की जा रही है एवं शेष 105 पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक, शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये हैं।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा समीक्षा कैम्प के दौरान पेंशन विभाग से समन्वय स्थापित कर श्री गुलाराम (पीपीओ न. 1411292734), श्री हेमन्त गुर्जर (पीपीओ न. 1411292751) एवं श्री मनोज राव (पीपीओ न. 1206086) की पेंशन अधिकृतियॉ जारी करवाई गई एवं कैम्प के दौरान ही पेंशन प्रकरणों का निस्तारण किया गया। निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा निरन्तर प्रयास कर पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के सहयोग से 1058 बकाया पेंशन प्रकरणों में से 90 प्रतिशत पेंशन प्रकरणों का निस्तारण पेंशन अदालत एवं समीक्षा कैम्प के दौरान करवाया गया।

8. नवीन संशोधन/नियम/आदेश/निर्वचन

1. **पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु कार्यालयाध्यक्षों के लिए दिशा–निर्देश दिनांक 09.03.2026**

राजस्थान सरकार
वित्त (पेंशन) विभाग

क्रमांक प.10(3)वित्त/पेंशन/2025 लूज	जयपुर, दिनांक 09.03.2026

समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर,

विषयः– पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु कार्यालयाध्यक्षों को दिशा–निर्देश प्रसारित करने के संबंध में।

राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को समय पर पेंशन स्वीकृत करने के संबंध में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियमों में स्पष्ट प्रावधान होने एवं वित्त विभाग के पत्रांक प.10 (13) वित्त/राजस्व/2013/पार्ट दिनांक 09.10.2014 एवं प. 10 (12) वित्त/राजस्व/ 2010/पार्ट दिनांक 01.03.2017 के द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किये जाने के बावजूद कतिपय मामलों में संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की पालना नहीं किये जाने के कारण पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है, जिसके फलस्वरूप संबंधित व्यक्तियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान समय पर नहीं होने के परिणामस्वरूप जहाँ एक ओर उन्हें आर्थिक कठिनाई होती है, वहीं दूसरी ओर इस संबंध में न्यायालयों में वाद भी बढ़ रहे हैं। पेंशन प्रकरणों के विलम्ब से निस्तारण के कारण कई मामलों में राज्य सरकार को ब्याज का अनावश्यक भुगतान भी करना पड़ रहा है।

सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण की सेवा को समयबद्ध प्रदायगी के लिए "राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011" की धारा 3 के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा चुका है। इस अधिनियम में पेंशन प्रकरण का समय पर निस्तारण नहीं होने पर दोषी पर 250/– रूपये प्रतिदिन की दर से न्यूनतम 500/– रूपये अर्थदण्ड का प्रावधान है।

इस हेतु वर्तमान नियमों का सरलीकरण करते हुए पेपरलेस एवं समयबद्ध तरीके से कार्मिकों को सेवानिवृति दिवस को ही समस्त पेंशन परिलाभों की स्वीकृति हेतु (IFMS 3.0) पर सिस्टम लागू करते हुए वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.5(थ. 75)डीटीए/IFMS 3.0/1112–1311 दिनांक 01.06.2023 (प्रति संलग्न) के तहत कार्मिकों एवं विभागाध्यक्षों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गए हैं। जिसमें चरणबद्ध रूप से समस्त प्रक्रिया को स्पष्ट किया जाता है।

राज्य सरकार के उपरोक्त निर्देशों के बावजूद पेंशन स्वीकृति में विलम्ब किए जाने की स्थिति अत्यंत गंभीर है, अतः सभी प्रशासनिक विभागों, विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों से अपेक्षा

की जाती है कि पेंशन नियमों में निर्धारित प्रक्रिया की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए पेंशन प्रकरणों को निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग को निर्धारित समय–सीमा में भिजवाये जाने की प्रभावी व्यवस्था की जावे। यदि पेंशन प्रकरण तैयार करने में विभाग को किसी मार्गदर्शन/प्रशिक्षण की आवश्यकता हो तो विभागीय वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित कार्यालय को आवश्यक मार्गदर्शन/प्रशिक्षण दिलवाये जाने की व्यवस्था की जाए, ताकि निर्धारित प्रक्रिया/तत्संबंधी नियमों की जानकारी के अभाव में कोई प्रकरण लंबित नहीं रहे।

पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब को गम्भीरता से लेते हुए राज्य के समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि लम्बित पेंशन प्रकरणों एवं भविष्य में सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों के तत्परता से निस्तारण हेतु वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.5(थ.75)डीटीए/IFMS 3.0/1112–1311 दिनांक 01.06.2023 तथा निम्नानुसार दिये गये दिशा–निर्देशों की आवश्यक रूप से पालना सुनिश्चित करें तथा अपने अधीनस्थ कार्यालय अध्यक्षों को पूर्ण पालना करने हेतु इन्हें प्रसारित करें :–

(क.) राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 80 के अनुसार जिस दिनांक को कोई सरकारी कर्मचारी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के कारण सेवानिवृत होने वाला है, उससे दो वर्ष पूर्व कर्मचारी के पेंशन प्रकरण को तैयार करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जावे।

(ख.) पेंशन नियम–7 के नीचे दिये गये राजस्थान सरकार के निर्णय संख्या–6 में यह स्पष्ट दिया गया है कि लघु शास्तियों के लिए प्रारम्भ की गई कार्यवाहियों का, पेंशन को कम करने या रोकने के मामलों में, उसकी पेंशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए अनुशासनिक अधिकारियों से यह अपेक्षा है कि राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–17 के तहत लघु शास्तियों के लिए प्रारम्भ की गई विभागीय कार्यवाहियों के कारण पेंशन प्रकरण न रोके जावें तथा सेवानिवृति से पूर्व पेंशन स्वीकृत कर निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग से पेंशन अधिकृतियाँ जारी करावें।

(ग.) सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को समय पर पेंशन के लिए प्राधिकृत करने के लिए उनसे जो अपेक्षाएँ हैं वे राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के परिशिष्ठ XI में वर्णित हैं। सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृति से पूर्व उनसे जो अपेक्षाएँ है उनकी एक चैक लिस्ट तैयार कराई जावे। संबंधित कर्मचारी को आठ माह पूर्व पत्र के साथ चैक लिस्ट उपलब्ध कराई जाकर उससे प्राप्ति रसीद प्राप्त कर अभिलेखों में सुरक्षित रखी जावें।

(घ.) राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के परिशिष्ठ VIII में पेंशन प्रकरणों को समय पर अन्तिम रूप से निर्णित करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष/कार्यालय अध्यक्षों के दायित्व निर्धारित किये गये हैं। सभी नियुक्ति प्राधिकारियों एवं कार्यालय अध्यक्षों से यह अपेक्षा है

कि वे पेंशन प्रकरणों को समय पर निर्णित करने के लिए दिये गये अनुदेशों की पालना सुनिश्चित करें।

(ड.) कार्यालय अध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि पेंशन प्रकरण की तैयारी हेतु संबंधित सरकारी कर्मचारी से पेंशन प्रपत्र–5 व 5(क) में वांछित सूचनाएँ एवं अपेक्षित पूर्तियाँ सेवानिवृति की दिनांक से 8 माह पूर्व पूर्ण करा ली गई है तथा उसकी सत्यता की जांच कर ली गई है।

(च) उपरोक्त प्रक्रिया की पालना करते हुए यदि पेंशन प्रकरणों का निस्तारण कराया जावेगा तो यह निश्चित है कि अधिवार्षिक आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृति की दिनांक या उससे पूर्व ही पेंशन परिलाभों से संबंधित भुगतान आदेश हस्तगत किये जा सकेंगे। अतः समस्त कार्यालयाध्यक्ष व्यक्तिगत स्तर पर यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।

(छ) किसी प्रकरण में कुछ सूचना उपलब्ध होने में देरी की संभावना हो या सेवाभिलेख अपूर्ण हो, तो राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम–86 के अन्तर्गत प्रोविजनल पेंशन एवं प्रोविजनल ग्रेच्यूटी की अधिकृतियां जारी करावे तथा किसी प्रकरण में कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय/न्यायिक जांच बकाया हो, तो राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम–90 के अनुसार प्रोविजनल पेंशन एवं प्रोविजनल ग्रेच्यूटी की अधिकृतियां जारी कराने हेतु समय रहते पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग को प्रेषित करने हेतु निर्देशित कराये।

4. प्रायः यह देखने में आया है कि पेंशन प्रकरण समय पर स्वीकृत नहीं होने का एक मुख्य कारण सेवा संबंधी मामलों में विभाग द्वारा समय पर उचित निर्णय नहीं लेना है। किसी कर्मचारी के गैर हाजिर होने पर गैर हाजिर अवधि का नियमितिकरण, कर्मचारी के ड्यूटी पर वापिस उपस्थिति देने के एक–दो महिने के अन्दर होना चाहिये जबकि यह कार्यवाही समय पर नहीं की जाकर कर्मचारी की सेवानिवृति के बाद कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। इसी प्रकार 9, 18, 27 वर्षीय चयनित वेतनमान/ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. एवं अन्य फिक्सेशन संबंधी मामले, सेवा सत्यापन एवं निलम्बन अवधि का नियमितिकरण आदि कार्य भी समय पर नहीं किये जाते हैं। अतः उपरोक्त कार्यवाही सेवानिवृति से पूर्व कराया जाना सुनिश्चित करें।
5. कई मामलों में कर्मचारी की सेवा में रहते मृत्यु होने पर अगर उसके द्वारा सेवा नियमों के अन्तर्गत नोमीनेशन नहीं किया गया है तो इस संबंध में अत्यधिक कठिनाई आती हैं और कई बार इससे न्यायालयों में भी वाद दायर होते हैं। अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम–59 (1) के अनुसार कर्मचारी के कार्यग्रहण के पश्चात् सेवानिवृति ग्रेच्यूटी/मृत्यु ग्रेच्यूटी के लिए उक्त नियमों के प्रपत्र 1 में नाम निर्देशन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
6. इसके अतिरिक्त, संबंधित कर्मचारी किसी फौजदारी मामले में लिप्त हो तो उसका अदालत से हुये निर्णय के संबंध में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा अन्तिम निर्णय लेने

की सूचना सेवापुस्तिका में उपलब्ध नहीं होने पर पेंशन विभाग द्वारा आपत्ति की जाती है। यदि सक्षम न्यायालय का निर्णय पुराना है तो ऐसे मामलों में जिला मजिस्ट्रेट/सक्षम अधिकारी से सूचना प्राप्त होने में काफी विलम्ब हो जाता है। इसी तरह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा चलाये गये मुकदमें का निर्णय प्राप्त होने पर उसमें अपील की जानी है अथवा नहीं, इस बाबत प्रशासनिक विभाग द्वारा विधि विभाग से सलाह ली जाकर अन्तिम निर्णय लिया जाता है तथा जब तक यह निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होता है, तब तक पेंशन विभाग द्वारा आपत्ति की जाती है। अन्य रिट पिटिशन आदि मामलों में हुये निर्णय के संबंध में भी इसी तरह प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग से सहमति लेकर अन्तिम निर्णय लिया जाता है तथा निर्णय नहीं होने तक पेंशन प्रकरणों में आपत्ति की जाती है। ऐसे मामलों में प्रशासनिक विभाग से निर्णय कराने में भी अत्यधिक विलम्ब हो जाता है। अतः कर्मचारी की सेवानिवृति के दो साल पहले पेंशन प्रकरण बनाने की कार्यवाही प्रारंभ की जाने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी को देखना चाहिये कि क्या उपरोक्त प्रकार का कोई मामला विचाराधीन है? यदि विचाराधीन है, तो उसके संबंध में संबंधित विभागों के द्वारा शीघ्र निर्णय लिया जावे।

7. संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम–8(2) (क) व (ख) के अनुसार जन्म दिनांक का अंकन और उसका सत्यापन होना चाहिए। यदि किसी कार्मिक की सेवा पुस्तिका में जन्म दिनांक में कोई संशोधन/कटिंग है और उसका कोई उचित आधार है तो तत्काल सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त करेगें एवं उक्त की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में चस्पा करवायेगें ताकि निर्धारित समय में पेंशन प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकें।
8. समस्त कार्यालयाध्यक्षों को यह निर्देशित किया जाता है कि उनके अधीन पदस्थापित कार्मिक जो सेवानिवृत हो चुके हैं या जो आगामी दो वर्ष में सेवानिवृत होने वाले हैं, उनके पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु उपर्युक्त बिन्दुवार दिशा–निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावे। संबंधित कार्यालय अध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी स्वयं उक्त कार्य की मॉनिटरिंग करेंगे। पेंशन प्रकरणों के निस्तारण की मॉनिटरिंग के लिए समस्त कार्यालय अध्यक्षों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे विगत माह की प्रगति के संबंध में आगामी 3 तारीख तक निर्धारित प्रपत्र में सूचना अपने नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित करेंगे एवं नियंत्रणं अधिकारी उक्तानुसार प्राप्त सूचना को संकलित करके अपनी टिप्पणी के साथ विभागाध्यक्ष को सम्प्रेषित करेंगे। विभागाध्यक्ष स्तर पर पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु गठित प्रकोष्ठ द्वारा लम्बित पेंशन प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग की जावेगी।
9. यदि किसी प्रकार की विभागीय स्तर पर औपचारिक कार्यवाही अपूर्ण होने की वजह से पेंशन प्रकरण की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब होता है तो उसके लिए पड़ने वाले विपरीत प्रभाव के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित कर उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक

कार्रवाई की जायेगी तथा पेंशन स्वीकृति में विलम्ब होने पर संबंधित अधिकारियों से नियमानुसार ब्याज की वसूली की जावेगी।

10. यदि पेंशनर के स्तर से किसी प्रकार की औपचारिकता पूर्ण नहीं की गई है तो उसका विवरण पृथक से भिजवाते हुए इस संबंध में आप द्वारा की गई कार्यवाही से भी पेंशन विभाग को अवगत कराया जावे ।

उक्त निर्देशों की पालना सख्ती से की जावे ।

ह0
(राजन विशाल)
शासन सचिव वित्त (बजट)

2. **कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा पेंशन प्रकरणों को पेंशन विभाग में अग्रेषित करने से पूर्व नीचे दिये गये सामान्य आक्षेपों/कार्मिकों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए :–**

I. प्रारूप 6 निर्धारित प्रपत्र में विभागीय जाँच अथवा दाण्डिक/आपराधिक कार्रवाई बकाया न होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना।
II. अन्तिम वेतन भुगतान प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना।
III. लेखाकर्मी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना।
IV. उपादान हेतु मनोनयन पत्र एवं प्रपत्र 12 संलग्न नहीं करना।
V. विभागीय अदेयता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना।
VI. असाधारण अवकाश का विवरण अंकित नहीं करना।
VII. शिक्षा सेवा के अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापक के प्रकरणों में नियुक्ति अवधि (01 जनवरी से 30 जून) मध्य सत्र होने के कारण नियुक्ति पत्र संलग्न नहीं करना।
VIII. फार्म 27 ए (सरकारी आवास)एवं फार्म 28 ए (दीर्घकालीन ऋण)संलग्न नहीं करना।
IX. अनुदानित संस्था द्वारा सेवा अवधि एवं प्राप्त उपादान राशि का प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं करना।
X. कार्मिक वर्कचार्ज सेवा में रहने पर बीमा विभाग द्वारा जारी की गई हस्तान्तरण प्रविष्टि संलग्न नहीं करना।
XI. कार्मिक के पति/पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र/तलाक डिक्री संलग्न नहीं करना।
XII. राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के परिपत्र दिनांक 27.01.2025 के अनुसार पेंशन प्रकरण नहीं भिजवाना।
XIII. वर्क चार्ज कार्मिक की प्रथम नियुक्ति दिनांक अर्द्धस्थायी दिनांक के अनुसार प्रकरण नहीं भिजवाना।
XIV. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिवस अकार्य दिवस होने के कारण अकार्य दिवस का वेतन देय नहीं होता है, के अनुरूप एल.पी.सी. संलग्न नहीं करना।

माननीय न्यायालयों के निर्णयों की पालना में सक्षम स्वीकृति संलग्न नहीं करना।

9. पेंशन अदालत (दिनांक 27.072026)

राजस्थान सरकार
वित्त (पेंशन) विभाग

क्रमांक :— प.10(3)वित्त/पेंशन/2025 जयपुर, दिनांक :— 29.05.2026

निदेशक,
स्थानीय निकाय विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर।

महानिदेशक, पुलिस
राजस्थान, जयपुर।

मुख्य अभियंता (प्रशासन),
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी, विभाग
जल भवन, राजस्थान, जयपुर।

विषय :— स्थानीय निकाय विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, पुलिस, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की पेंशन अदालत का आयोजन करवाने बाबत।

संदर्भ :— वित्त (पेंशन) विभाग का परिपत्र क्रमांक प.10(3)वित्त/पेंशन/2025 दिनांक 18.02.2026।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित परिपत्र के क्रम में पेंशनर्स के पेंशन प्रकरण प्रस्तुत करने एवं सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान सम्बन्धी समस्याओं एवं शिकायतों का समाधान किए जाने के लिए वित्त विभाग द्वारा प्रतिवर्ष माह अप्रेल, जुलाई, अक्टूबर एवं जनवरी में पेंशन अदालत आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। स्थानीय निकाय विभाग के प्रतिवर्ष लगभग 1000 कार्मिक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाएं के प्रतिवर्ष लगभग 1800 कार्मिक, पुलिस विभाग के प्रतिवर्ष लगभग 1400 कार्मिक एवं जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के प्रतिवर्ष लगभग 1700 कार्मिक सेवानिवृत्त होकर पेंशन प्राप्त करते हैं। वर्तमान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सेवानिवृत्त कार्मिकों के 378, पुलिस विभाग के सेवानिवृत्त कार्मिकों के 187 एवं जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के सेवानिवृत्त कार्मिकों के 151 पेंशन प्रकरण Initiate नहीं किए गए हैं एवं स्थानीय निकाय विभाग के 91 पेंशन प्रकरण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 81 पेंशन प्रकरण, पुलिस विभाग के 32 पेंशन प्रकरण एवं जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के 50 पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग को अपूर्ण प्रस्तुत करने के कारण आक्षेप में बकाया हैं। उक्त के अतिरिक्त सेवारत कार्मिकों की मृत्यु के बकाया पारिवारिक पेंशन के प्रकरण स्वीकृति के अभाव में बकाया हैं।

संदर्भित परिपत्र दिनांक 18.02.2026 की प्रति संलग्न कर लेख है कि स्थानीय निकाय विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, पुलिस, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के बकाया पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रकरणों के निस्तारण एवं पेंशनर्स की समस्याओं व शिकायतों के निराकरण हेतु विभागाध्यक्ष के स्तर पर दिनांक 27.07.2026 (सोमवार) को पेंशन अदालत का आयोजन किया जावे।

पेंशन अदालत का गठन निम्नांनुसार किया गया है :—

निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, महानिदेशक, पुलिस, मुख्य अभियन्ता, जन.स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	—	संयोजक
संयुक्त शासन सचिव, स्वायत शासन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, गृह विभाग, जन.स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	—	सदस्य
निदेशक/अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग	—	सदस्य
अध्यक्ष, पेंशनर समाज/पेंशनर मंच, राजस्थान	—	सदस्य

स्थानीय निकाय विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, जन. स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के आक्षेप के कारण बकाया पेंशन प्रकरणों एवं आक्षेपों की प्रकृति का विवरण निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग द्वारा आपको पृथक् से प्रेषित किया जा रहा है। पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स से निर्धारित प्रपत्र (प्रति संलग्न) में परिवेदनाएं पेंशन अदालत की निर्धारित दिनांक से एक माह पूर्व तक प्राप्त करना एवं पेंशन अदालत की दिनांक तक इनका समाधान कराया जाना सुनिश्चित करें। निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रकरणों का निस्तारण करवाने के लिए आपके विभाग के अतिरिक्त निदेशक स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करें।

पेंशन अदालत के आयोजन के पश्चात निस्तारित परिवेदनाओं एवं जारी करवायी गयी पेंशन/पारिवारिक पेंशन अधिकृतियों के विवरण के साथ पेंशन अदालत की कार्यवाही रिपोर्ट समीक्षा हेतु वित्त (पेंशन) विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें।

(शिवांगी स्वर्णकार)
विशिष्ट शासन सचिव वित्त (बजट)

पेंशन अदालत हेतु परिवेदना आवेदन फार्म
(पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन स्वीकृति हेतु)

1. कर्मचारी का नाम/पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर ....

2. एम्पलोई आई.डी./पीपीओ न./एफपीपीओ नं. ....

3. पदनाम एवं कार्यालय का नाम तथा विभाग का नाम ....

4. सेवानिवृत्ति दिनांक/मृत्यु दिनांक ....

5. यदि सेवा में रहते हुए कार्मिक की मृत्यु के कारण
   पारिवारिक पेंशन का प्रकरण है :
   पेंशन प्रकरण स्वीकृति की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है अथवा नहीं ....

6. पता एवं सम्पर्क नं. (मोबाईल, टेलीफोन एवं ई–मेल आई. डी.) ....

   ....

7. परिवेदना का संक्षिप्त विवरण..

   ....

8. यदि परिवेदना पहले प्रस्तुत/दर्ज की गई है–संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें एवं दर्ज

   शिकायत की प्रति संलग्न करें ....

9. परिवेदना से संबंधित दस्तावेजों की प्रति (यदि कोई हो) ....

10. पेंशन अदालत में व्यक्तिशः उपस्थिति अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ना ....

दिनांक :–

नाम एवं हस्ताक्षर

पेंशन भवन, विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर – 302005

दूरभाष 2740678, 2741687, 2740694 एवं 2740538

टोल फ्री नं. 18001808182

E-Mail :- dir-pen-rj@nic.in

Website : Pension.rajasthan.gov.in